[2019] 12 एस. सी. आर. 472

ओडिशा राज्य और एक और

वी.

अनूप कुमार सेनपति और एक और

(2019 की सिविल अपील संख्या 7295)

16 सितंबर, 2019

[अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान:

उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969-एस। 7ग-उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) अनुदान

सहायता आदेश, 1994-शैक्षणिक संस्थानों को सहायता लाभों में अनुदान-कर्मचारियों को सहायता में अनुदान का दावा करने का अधिकार

आदेश, 1994 के तहत स्वीकार्य, 2004 के आदेश में निहित प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2004 में इसके निरसन के बाद, जिसे 2008 और 2009 के आदेश द्वारा और निरस्त कर दिया गया था-आयोजित: सहायता में अनुदान

1994 के आदेश के तहत दावा नहीं किया जा सकता है, इसके निरसन के बाद-इसे केवल निर्धारित अवधि के पूरा होने पर अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है-यह विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति पर निर्भर है।

सहायता अनुदान की शर्तों का दावा अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

विहित और निदेशक अच्छे और पर्याप्त कारण पर अवधि बढ़ा सकता है-आर्थिक क्षमता के भीतर किसी भी सरकार के लिए सहायता अनुदान जारी करना संभव नहीं होगा।

पूर्वव्यापी-इसके अलावा, 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद आवेदन दायर करने वाले कर्मचारियों को किसी भी राहत उड़ीसा (गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज और उच्च माध्यमिक विद्यालय) अनुदान सहायता आदेश, 2004 का हकदार नहीं कहा जा सकता है। उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) अनुदान सहायता आदेश, 1994-उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)

स्कूल) अनुदान सहायता आदेश, 2004-1994 के आदेश का निरसन, 2004 के आदेश द्वारा-का प्रभाव-आयोजित: 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 से यह स्पष्ट है कि यदि कोई कॉलेज किसी पद के संबंध में सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है, तो उसे 1994 के आदेश के तहत प्राप्त करना जारी रहेगा, हालांकि, यदि उसे सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि 1994 के आदेश की बचत केवल इसके तहत ब्लॉक अनुदान के लिए हकदार है।

अनुच्छेद 3 (1), जो 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है-1994 के आदेश की बचत एक सीमित उद्देश्य के लिए है कि संस्था 1994 के आदेश के निरसन से पहले स्वीकृत पदों के संबंध में सहायता अनुदान प्राप्त करती रहेगी-2004 के आदेश के अनुच्छेद 4 पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि केवल अधिकार की बचत ब्लॉक अनुदान प्राप्त करने के लिए है और केवल 2004 के आदेश के निरसन पर या उससे पहले सहायता अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में, यह प्रभावित नहीं होगा और 1994 का आदेश केवल उस उद्देश्य के लिए जारी रहेगा और कोई अन्य अधिकार नहीं बचेगा।

निरस्त करना: निरसन का प्रभाव-आयोजित: किसी कानून के निरसन से जो प्रभावित नहीं होता है वह अर्जित या अर्जित अधिकार है और न केवल अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आशा या अपेक्षा या स्वतंत्रता-यदि किसी निरस्त अधिनियम के तहत, एक अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी अधिकार के संबंध में जांच पर आवश्यक है कि क्या ऐसा अधिकार होना चाहिए या नहीं। ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई अधिकार नहीं बचाया जाता है-निरसन के बाद, निरस्त अधिनियम के तहत आवेदन करने और राहत प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कोई लाभ एक ऐसा अधिकार नहीं है जिसे आवेदन के आवश्यक होने पर बचाया जाता है और राहत प्रदान करना विवेकाधीन था और जांच की आवश्यकता थी कि क्या राहत दी जानी चाहिए या नहीं निरसन से ऐसी राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं बचेगा-2004 के आदेश के पैरा 4,1994 के आदेश को निरस्त करने और बचाने के आदेश को निरस्त करने के समय सहायता अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा है और न ही यह प्रावधान किया गया है कि 1994 के आदेश के निरसन के तहत आवेदन करके, इसके लाभों का दावा किया जा सकता है-अधिनियम या 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान का दावा करने का कोई निहित, अर्जित या पूर्ण अधिकार नहीं था।

भारत का संविधान: कला. 14 – समानता-नकारात्मक समानता

अवधारणा-आयोजित: नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है

कला. 14 - यदि व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जहां अधिकार उपलब्ध नहीं है, कोई व्यक्ति समान व्यवहार के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है-जब अधिकार मौजूद नहीं है, तो नकारात्मक समानता का दावा नहीं किया जा सकता है।

राज्य द्वारा अपील की अनुमति देना और कर्मचारियों की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यह उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर (2019) 12 एस. सी. आर.) के प्रावधानों से स्पष्ट है।

माध्यमिक विद्यालय) अनुदान-सहायता आदेश, 1994 कि अनुदान-सहायता का दावा केवल पूरा होने पर अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है

निर्धारित अवधि। यह विभिन्न शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। निदेशक 1.6.1994 से पहले भरे गए पद से संबंधित मामले की जांच करने में सक्षम है। इसके अलावा, सहायता अनुदान का लाभ उठाना विवेकाधीन है। संस्थान के लिए इसके लिए आवेदन करने की कोई बाध्यता नहीं है। [पैरा 8] [491-सी]

1.2 1994 के आदेश को अनुच्छेद 3 (1) में उल्लिखित उद्देश्यों को छोड़कर निरस्त कर दिया गया है। 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 (2) में निजी शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित प्रावधान हैं जो इस तरह से निरस्त आदेश के तहत किसी भी अनुदान की प्राप्ति में हैं, उन्हें वही मिलता रहेगा। बाद में,

राज्य सरकार ने 2008 के अनुदान-सहायता आदेश को 7.1.2009 से अधिसूचित किया है। 2004 के आदेश को कुछ बचत के साथ निरस्त कर दिया गया है। 2008 के आदेश के अनुच्छेद 20 में निहित निरसन और बचत खंड। खंड अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था को 1994 और 2004 के आदेशों में दिए गए तरीके से बचत होती रहती है। इसके बाद, 2009 के आदेश को 6.6.2009 से प्रभावी घोषित, अधिसूचित और लागू किया गया है। 2009 के आदेश के तहत, देय खंड अनुदान सहायता अनुदान की एक निश्चित राशि होगी, जिसका निर्धारण ऐसे संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतन के पूर्व-संशोधित समय पैमाने पर प्रारंभिक मूल वेतन के साथ-साथ 7 वृद्धि और 41 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। खंड अनुदान का निर्धारण सरकार की आर्थिक क्षमता के भीतर होगा। यह धारा के प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किए गए उक्त आदेशों से स्पष्ट है।

7 - अधिनियम का सी कि शुरू में सरकार ने 1994 के आदेश में पूर्ण लागत वेतन का प्रावधान किया था। इसे 2004 के आदेश में निर्दिष्ट ब्लॉक अनुदान में बदल दिया गया था। खंड अनुदान राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता के आधार पर 2008 और 2009 के आदेशों में मानदंडों के अनुसार परिवर्तित और निर्दिष्ट किया गया था। [पैरा 10-12] [492-G-H; 493-A; 495-G-H; 496-A-C]

1.3 उड़ीसा शिक्षा अधिनियम की धारा 7-सी यह स्पष्ट करती है कि सरकार को ओडिशा राज्य के भीतर अनुदान सहायता प्रदान करनी होगी।

अनूप कुमार सेनपति

अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा और इसे निजी क्षेत्र को अनुदान सहायता के वितरण के लिए "वार्षिक" राशि अलग रखनी होती है।

शैक्षणिक संस्थान जो उपयुक्त पाए जाएँ और संस्थान /

अनुदान सहायता के लिए पदों को निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सहायता अनुदान वैकल्पिक है और इसे प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन दायर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दायर किए गए आवेदन पर भी यह स्वतः जारी नहीं होता है। यदि संस्था के शासी निकाय ने

राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है और इसे प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, तो वर्तमान अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए आवेदन करना होगा। संबंधित शैक्षणिक वर्ष का सत्र, जिसके लिए बजटीय

राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए। सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन को 1994 के आदेश में उल्लिखित विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए निपटाया जाना चाहिए। [पैरा 16] [498-बी-डी]

1.4 एक गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र और इच्छुक हो।

पात्रता की अवधि। निदेशक 1994 के आदेश के पैराग्राफ 7 (2) में दिए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों से अवधि बढ़ा सकता है। 1994 के आदेश की योजना से यह स्पष्ट है कि अनुदान-सहायता का दावा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और निदेशक अच्छे और पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अवधि बढ़ा सकता है, अन्यथा इसका दावा नहीं किया जा सकता है। 5 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी, जैसा भी मामला हो, अनुदान-सहायता प्राप्त करने के अधिकार की कोई स्वतः प्राप्ति नहीं होती है। यह निदेशक की राय पर निर्भर करता है कि कौन सा शैक्षिक संस्थान/संस्थान क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे होंगे। [पैरा 17-18] [499-ए-बी, ई]

1.5 अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि संस्थानों ने विशेष शैक्षणिक वर्ष में और समय के भीतर विधिवत आवेदन किया हो।

1994 के आदेश के अनुसार आवेदन करने के लिए निर्धारित किया गया है और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गई थी। इस तरह के कोई सहायक दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखे गए हैं। तथ्य यह है कि अभिलेख पर कोई आदेश नहीं दिया गया है कि क्या संस्था द्वारा की गई ऐसी कोई प्रार्थना [2019] 12 एस. सी. आर. थी।

1994 के आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया। रिकॉर्ड पर रखे गए अभ्यावेदन 2011-12 के हैं, क्योंकि अनुदान-सहायता वार्षिक है, जो आर्थिक सीमाओं और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

राज्य सरकार ने यह दावा करते हुए कि वर्ष 2011-12 में मूल आवेदन या रिट याचिकाएं दायर करने में दिन में बहुत देर हो चुकी थी 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान का लाभ। यदि कर्मचारी/संस्थान अनुदान सहायता प्राप्त करने के इच्छुक थे, तो

1994 के आदेश में, उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित समय के भीतर कदम उठाने चाहिए थे कि इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह वार्षिक बजट और 1994 के आदेश के प्रावधानों में निहित विभिन्न कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है। [पैरा 19] [499-जी-एच; 500-ए-सी] 1.6 1994 के आदेश के तहत अनुदान जारी करने के लिए की गई प्रार्थना को निरस्त करने के बाद गलत समझा गया था और यह नहीं होगा

आर्थिक क्षमता के भीतर किसी भी सरकार के लिए सहायता अनुदान को पूर्वव्यापी रूप से जारी करना संभव है। विलम्ब स्वयं सहायता अनुदान का दावा करने के अधिकार, यदि कोई हो, को पराजित कर देता है जो इसके लिए आवेदन करने के लिए संस्था के विकल्प पर निर्भर करता है। वे नहीं चुन सकते हैं

सहायता अनुदान के लिए आवेदन करना क्योंकि यह सरकार द्वारा लगाए गए कई प्रावधानों के साथ आता है। इस प्रकार, 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद देर से दायर मूल आवेदनों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता था और 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद आवेदन दायर करने वाले कर्मचारियों को 1994 के आदेश के तहत उपलब्ध अपने अधिकार, यदि कोई हो, पर रोक लगाने के कारण किसी भी राहत का हकदार नहीं कहा जा सकता था। [पैरा 20] [500-डी-ई]

1.7 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 में निहित प्रावधानों ने 1994 के आदेश को निरस्त कर दिया है, सिवाय इन उद्देश्यों के लिए: अनुच्छेद 3 (1)। पैराग्राफ 3 (1) में प्रत्येक निजी शैक्षणिक संस्थान का प्रावधान है जो एक गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज या

उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 1994 के आदेश के तहत सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के लिए आई. डी. 1 द्वारा पात्र हो गया है, उसे अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और वह अनुच्छेद 3 (2) में दिए गए तरीके से खंड अनुदान के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने का हकदार होगा। पैराग्राफ 3 के प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में पात्र होने के लिए एक कॉलेज में दो से अधिक मंत्री कर्मचारी और दो चपरासी नहीं होने चाहिए। ओडीशा v का कोई अन्य बचत राज्य नहीं है।

अनूप कुमार सेनपति

1994 का आदेश। हालाँकि, 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 (2) में 1994 के आदेश के निरसन के बावजूद, निजी शैक्षणिक संस्थान जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, का प्रावधान है।

इस प्रकार निरस्त आदेश के तहत सरकार से अनुदान सहायता अनुदान सहायता प्राप्त करना जारी रखेगा जैसे कि अनुदान सहायता आदेश, 1994 को निरस्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई कॉलेज किसी पद के संबंध में अनुदान-सहायता प्राप्त कर रहा है, तो उसे 1994 के आदेश के तहत प्राप्त करना जारी रहेगा, हालांकि, यदि उसे 1994 के आदेश की बचत के रूप में अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वह केवल पैराग्राफ 3 (1) के तहत ब्लॉक अनुदान का हकदार है, जो 1994 के आदेश के तहत अनुदान-सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। 1994 के आदेश की बचत एक सीमित उद्देश्य के लिए है कि संस्थान को संबंधित अनुदान-सहायता प्राप्त होती रहेगी

वे पद जो 1994 के आदेश के निरसन से पहले स्वीकृत किए गए थे। [पैरा 21] [500-एफ-एच; 501-ए-सी] 1.8 सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों में कहा गया है कि अधिनियम के निरसन से संबंधित व्यक्ति को दिया जाने वाला लाभ प्रभावित नहीं होगा। हालांकि,

निरसन किसी भी ऐसी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो उस समय लागू या मौजूदा नहीं थी जिस समय निरसन होता है। किसी भी अधिनियम या किसी भी चीज़ का पिछला संचालन विधिवत किया जाता है या उसके तहत पीड़ित होता है या कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित। हालाँकि, सबसे अच्छा मार्गदर्शक 2004 के क्रम में निरसन प्रावधानों के संदर्भ में पाया गया है जो सहेजा गया है।

स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। [पैरा 22] [501-एच; 502-ए-बी]

1.9 यह स्पष्ट है कि किसी कानून के निरसन से जो अप्रभावित है, वह अर्जित या अर्जित अधिकार है, न कि केवल आशा या अधिकार। अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अपेक्षा या स्वतंत्रता। अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में अंतर है। यदि किसी निरस्त अधिनियम के तहत, एक अधिकार दिया गया है, लेकिन

किसी अधिकार के संबंध में जांच आवश्यक है कि ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा है। किसी प्रावधान का लाभ उठाने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। निरस्तीकरण के बाद, एक निरस्त अधिनियम के तहत आवेदन करने और राहत प्राप्त करने के लिए उपलब्ध लाभ एक अधिकार नहीं है जिसे आवेदन आवश्यक होने पर बचाया जाता है और राहत देना विवेकाधीन था और

जाँच की आवश्यकता थी कि राहत दी जानी चाहिए या नहीं। निरस्तीकरण से इस तरह की राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं बचेगा। पूर्व-समावेशन का अधिकार अर्जित अधिकार नहीं है। किसी अधिनियम का लाभ उठाना एक उपचारात्मक अधिकार है। निरस्त नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का सरकारी कर्मचारी का अधिकार है -

यह एक निहित अधिकार नहीं है जब तक कि निरसन प्रावधान में कुछ बचत न हो और अधिकार का पहले उल्लंघन किया गया हो। [पैरा 24] [507-ए-सी]

1.10 सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत अर्जित अधिकारों की सामान्य बचत एक विपरीत इरादे के अधीन है।

निरसन अधिनियम द्वारा प्रकट किया गया। यह निरसन प्रावधानों पर निर्भर करता है कि यह क्या जीवित रखता है और जब निरसन और बचत खंड को व्यापक रूप से लिखा जाता है तो यह क्या नष्ट करने का इरादा रखता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। [पैरा 25] [507-डी]

1.11 तत्काल मामले में, यह स्पष्ट है कि 1994 के आदेश के तहत कोई पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। द.

सहायता अनुदान जारी किया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच आवश्यक थी। यह केवल सहायता अनुदान जारी करने की आशा और अपेक्षा थी जो 1994 के आदेश के प्रावधानों के निरसन के बाद भी कायम नहीं है। 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 में निहित स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए, निरसन और

1994 के आदेश को छोड़कर, यह स्पष्ट है कि निरसन के समय सहायता अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा है। आवेदन करने और/या लंबित आवेदनों के 1994 के आदेश के प्रावधानों को सहेजा नहीं गया है और न ही यह प्रावधान किया गया है कि 1994 के आदेश के निरसन के तहत आवेदन करके, इसके लाभों का दावा किया जा सकता है। अनुदान वार्षिक रूप से बजटीय प्रावधानों पर आधारित था। समय पर आवेदन करना। जैसा कि प्रासंगिक समय पर प्रचलित कई कारकों को देखा जाना था, 1994 के आदेश के निरसन के बाद किसी भी मामले में प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। केवल ब्लॉक अनुदान का दावा किया जा सकता है। लोकनाथ बेहरा मामले में उच्च न्यायालय ने सही राय दी है कि निरस्तीकरण के कारण, 1994 के आदेश के प्रावधानों को अनुदान-सहायता प्राप्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26,27] [507-ई-एच; 508-ए]
1.12 अधिनियम की धारा 7-सी और 1994 के आदेश के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि संस्थान

जिसे अनुदान सहायता और पद प्राप्त हुआ जिसके संबंध में ओडिशा राज्य v.

अनूप कुमार सेनपति

सहायता को छोड़ा जा रहा था, बचाया गया है। संस्थान के संदर्भ का अर्थ है और इसमें पद शामिल हैं। इन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सहायता अनुदान का दावा करने का अधिकार 2004 के आदेश के निरसन के समय तय किया गया है, अर्जित किया गया है, निपटाया गया है, पूर्ण या पूर्ण है। इस प्रकार, अधिनियम या 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान का दावा करने का कोई निहित, उपार्जित या पूर्ण अधिकार नहीं था। केवल शैक्षिक मानदंडों की पूर्ति और देय

सहायता अनुदान का दावा करने के लिए नियुक्ति पर्याप्त नहीं थी। इसके कई अन्य प्रासंगिक पहलुओं की पूर्ति और इसकी जांच आवश्यक थी। केवल एक या दो शर्तों को पूरा करने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई अधिकार अर्जित हुआ है।

पद या व्यक्ति के संबंध में संस्था द्वारा अनुदान सहायता। इसके निरस्त होने के बाद 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान का दावा करने के लिए कॉलेजों/व्यक्तियों के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया है। 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद अधिकार की जांच के लिए किसी भी दावे का सहारा नहीं लिया जा सकता था। [पैरा 29] [508-जी-एच; 509-बी-सी] 1.13 यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्य व्यक्तियों के संबंध में, न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और 1994 के आदेश के तहत अनुदान-सहायता जारी की गई है, जैसे कि समानता के आधार पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त मुद्दे पर मतभेद थे। जो भी हो सकता है। कोई अवधारणा नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता। यदि व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन कहाँ

अधिकार उपलब्ध नहीं है एक व्यक्ति समान रूप से व्यवहार किए जाने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अधिकार मौजूद नहीं है, नकारात्मक समानता जब अधिकार मौजूद नहीं है, तो दावा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 30] [509-डी-ई]

1.14 यह आदेश के पैरा 4 पर विचार करने पर स्पष्ट है -

2004 कि केवल अधिकार की बचत ब्लॉक अनुदान प्राप्त करने के लिए है और केवल उस स्थिति में जब सहायता अनुदान 2004 के आदेश के निरसन पर या उससे पहले प्राप्त किया गया था, यह प्रभावित नहीं होगा और 1994 का आदेश केवल उस उद्देश्य के लिए जारी रहेगा और कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

बच जाते हैं। इस प्रकार, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में पारित आदेश टिकाऊ नहीं हैं। लोकनाथ बेहरा के मामले और मानस पुरोहित के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को बरकरार रखा गया है। [पैरा 32] [514-जी-एच; 515-ए] [2019] 12 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। हिरेंद्र पाल सिंह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 287 [2018] 2 एससीआर

829 ; पंजाब राज्य बनाम। मोहर सिंह ए. आई. आर. 1955 एससी 84 [1955] एस. सी. आर. 893; बसावराज और एक अन्य वी.

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81:

[2013] 8 एससीआर 22; चमन लाल बनाम। पंजाब राज्य और

अन्य (2014) 15 एससीसी 715: [2014] 6 एस. सी. आर. 311; फुलजीत

कौर बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (2010) 11 एससीसी

455 [2010] 7 एस. सी. आर. 317; डोईवाला सहकारी श्रम

संवाद समिति लिमिटेड बनाम। उत्तरांचल राज्य और अन्य

(2007) 11 एससीसी 641: [2006] 10 पूरक। एससीआर 807; बोंडू

रामास्वामी और अन्य बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 129: [2010]

6 एस. सी. आर. 29; कुलविंदर पाल सिंह और एक अन्य बनाम। राज्य

पंजाब और अन्य (2016) 6 एस. सी. सी. 532: [2016] 4 एससीआर 439; यू. पी. राज्य बनाम राजकुमार शर्मा (2006)

3 एससीसी 330: [2006] 2 एससीआर 877; राजस्थान राज्य

औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम

सुभाष सिंधी सहकारी आवास सोसायटी, जयपुर

और अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 427: [2013] 4 एससीआर 978;

अरूप दास और अन्य बनाम। असम राज्य और अन्य (2012)

5 एससीसी 559 [2012] 1 एससीआर 445; उड़ीसा राज्य और एक अन्य वी। ममता मोहंती (2011) 3 एससीसी 436: [2011]

2 एस. सी. आर. 704 संदर्भित है।

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह, 14 वीं ई. डी. एन.-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 15 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2018] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1955] एससीआर 893

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2014] 6 एससीआर 311

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

[2010] 7 एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2006] 10 पूरक। एससीआर 807

पै

रा 30

ओडिशा राज्य v. अनूप कुमार सेनपति

[2010] 6 एससीआर 29

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

[2016] 4 एससीआर 439

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2006] 2 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2013] 4 एससीआर 978

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2012] 1 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2011] 2 एससीआर 704

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7295

2019 से।

उच्च न्यायालय के 14.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के एफ. ए. ओ. सं. 535 में कटक में उड़ीसा का।

के साथ

सिविल अपील सं। 7298 , 7301 , 7296 , 7297 , 7304 , 7299-7300 , 7302 ,

7303 2019 से।

अशोक परिजा, महाधिवक्ता-ओडिशा, गोपाल शंकर नारायण,

सुश्री आरती कृपा कुमार, करुणाकर महालिक, दुर्गा दत्त, सी. पी. सिंह, नागरकोट्टी कार्तिक यू., सुश्री बबीता कुशवाहा, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री लैमन रानी बारो, सुभाशीष मोहंती, संजीब पाणिग्रही, शिबाशीष मिश्रा, प्रकाश रंजन नायक, सौनक एस. दास, अंशुल कुमार, तेजस्वी कुमार प्रधान, तरुण सामंताराय, एस. के. बंदोपाध्याय, रामेश्वर प्रसाद गोयल, एम. साकिब सिद्दीकी, जमसीद अहमद, केदार नाथ त्रिपाठी, अनिलेंद्र पांडे, बृजेश पांडे, स्मार लीमा गुचैट, मनोज कुमार, रूमी चंदा, एस. कुमार, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., सुश्री प्रिया कश्यप, एम. के. साहू, ए. देब कुमार, सुश्री ए. दीपा, सुदर्श मेनन, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. अपीलों में शामिल सवाल यह है कि क्या कर्मचारी

उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) अनुदान-सहायता आदेश, 1994 (इसके बाद '1994 का आदेश' के रूप में संदर्भित) के तहत स्वीकार्य अनुदान-सहायता का दावा करने के हकदार हैं, वर्ष 2004 में उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्चतर [2019] 12 एस. सी. आर. में निहित प्रावधानों के आधार पर इसके निरसन के बाद।

माध्यमिक विद्यालय) अनुदान-सहायता आदेश, 2004 (इसके बाद '2004 का आदेश' के रूप में संदर्भित)। 2004 के आदेश को उड़ीसा (सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सहायता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय) अनुदान-सहायता आदेश, 2008 द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है। 2. 1994 के आदेश की घोषणा से पहले, गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान-सहायता का लाभ होता था -

उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत प्रदान किया गया। वर्ष 1994 में धारा 7-सी में निहित प्रावधानों को अंत:स्थापित करके इसमें संशोधन किया गया है:

राज्य। (2) ओडिशा शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारंभ से पहले या बाद में, इस अधिनियम के तहत अनुमति या अनुमोदन या मान्यता के अनुसार कोई भी आदेश किसी भी निजी व्यक्ति को अधिकार नहीं देगा।

सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थान।

(3) जैसा कि अन्यथा प्रावधान किया गया है, कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान जिसे इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, राज्य से कोई सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

सरकार।

(4) किसी भी कानून, नियम 'कार्यकारी आदेश या किसी भी निर्णय, डिक्री या किसी भी न्यायालय के आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई अनुदान सहायता का भुगतान नहीं किया जाएगा और वेतन लागत या किसी अन्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

खर्च किसी निजी शैक्षणिक संस्थान या किसी पद के लिए या ऐसे किसी संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए किया जाएगा।

ओडिशा शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1994 का प्रारंभ, इस अधिनियम के तहत बनाए गए आदेश या नियम के अनुसार को छोड़कर। सहायता अनुदान, जहाँ उक्त नियम या आदेश के तहत, यथास्थिति, स्वीकार्य हो, उस नियम या आदेश में निर्दिष्ट तिथि से या ऐसी तिथि से देय होगा जो देय हो।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया: बशर्ते कि ऐसे नियम या आदेश के जारी होने तक, राज्य सरकार, ऐसे नियम या आदेश के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निर्देश दे सकती है कि निजी शैक्षणिक संस्थान जो ओडिशा राज्य प्राप्त कर रहे थे।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

सहायता अनुदान और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिन पदों के संबंध में सहायता अनुदान जारी किया जा रहा था, उन्हें अनुदान सहायता के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किया जाता रहेगा जो ओडिशा शिक्षा (संशोधन) के शुरू होने से तुरंत पहले उन्हें दिया जा रहा था।

अधिनियम, 1994।

(4 - क) कैरियर उन्नति योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान प्राप्त करने वाले सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में एक शिक्षक की नियुक्ति के कारण राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अनुदान सहायता, उस सीमा तक सीमित होगी जो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना करके स्वीकार्य हो। ऐसे अनुमोदित पद पर पाँच साल की सेवा पूरी करना:

बशर्ते कि इस उप-धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे शिक्षक की वरिष्ठता या सेवा की किसी अन्य शर्त को प्रभावित करती है।

(4 - ख) इसके विपरीत किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (4-ए) में प्रदान किए गए मामलों के संबंध में 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद जारी किए गए किसी भी निर्देश, की गई कार्रवाई या की गई चीजें वैध रूप से जारी, ली गई या की गई मानी जाएंगी जैसे कि उक्त उप-धारा सभी भौतिक समय पर लागू थी। (5) किसी भी कानून, नियम, कार्यकारी आदेश या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निजी शैक्षणिक संस्थानों की निम्नलिखित श्रेणियां केवल अनुदान सहायता के भुगतान के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगी।

(अ)

निर्देश या पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

राज्य सरकार द्वारा मानकों या कक्षा VI और VII या समकक्ष प्रदान करने वाले संस्कृत टोल के लिए निर्धारित

पाठ्यक्रम और मदरसे जो प्रथम से सातवीं कक्षा या ऐसी किसी एक या अधिक कक्षाओं में समकक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

(ख) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा या [2019] 12 एस. सी. आर. प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा आयोजित उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए निर्देश या पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले उच्च विद्यालय।

श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय और मदरसों का मध्यमा पाठ्यक्रम समकक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

(ग) उच्च माध्यमिक विद्यालय या कनिष्ठ महाविद्यालय जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, ओडिशा द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए निर्देश या पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं या श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय और मदरसों द्वारा समकक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान। (घ) बी. ए. बी. एससी. या B.Com के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेज।

उत्कल, बेरहामपुर और संबलपुर विश्वविद्यालयों की डिग्री और श्री जगन्नाथ संस्कृत के शास्त्री

विश्वविद्यालय।

(7) सहायता अनुदान की सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक एक शासी निकाय या प्रबंध समिति ऐसी अवधि के भीतर इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन करेगी और ऐसी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिसमें संस्थानों के खातों का लेखापरीक्षित विवरण भी शामिल होगा जो निर्धारित किया जाए। यह आवेदन के साथ इस आशय का एक वचन प्रस्तुत करेगा कि इस उद्देश्य या बैठक के लिए स्वीकृत सहायता अनुदान वेतन लागत का आंशिक या संपूर्ण हिस्सा सीधे संबंधित कर्मचारियों को वितरित किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त अस्वीकार्य भुगतान को वापस किया जाएगा।

31 मार्च, 2008 के बाद मान्यता प्राप्त धारा (5) उप-धारा (9) के अलावा राज्य सरकार से किसी भी अनुदान सहायता का हकदार नहीं होगी। (9) उप-धारा (5) के खंड (बी) में निर्दिष्ट निजी शैक्षणिक संस्थान जो ग्राम पंचायत या ओडिशा राज्य में स्थित हैं।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

नगरपालिका, जिसे पहली बार 31 मार्च 2011 के बाद मान्यता दी गई है

राज्य से किसी भी सहायता अनुदान का हकदार नहीं होगा।

सरकार "।

(जोर दिया गया)

धारा 7-सी (1) में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता उसकी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर होगी और उस उद्देश्य के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों को वितरित करने के लिए सालाना धन अलग रखा जाना था। केवल तथ्य यह है कि इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान किसी निजी शैक्षणिक संस्थान को अनुदान सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगा और कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, राज्य सरकार से किसी भी सहायता का दावा करने का हकदार नहीं होगा। धारा 7-सी (4) में प्रावधान है कि किसी भी कानून, नियम, कार्यकारी आदेश या किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश के बावजूद, निजी शैक्षणिक संस्थान ओडिशा शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारंभ के बाद अधिनियम के तहत आदेश या नियमों के तहत सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। 1994 के आदेश के प्रावधानों के तहत जारी किया जाने वाला अनुदान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से देय होगा। राज्य सरकार को सहायता अनुदान के भुगतान की तारीख निर्धारित करने का अधिकार है। धारा 7 सी (4) का प्रावधान राज्य सरकार को पहले से ही इसे प्राप्त करने वाले संस्थानों को अनुदान जारी रखने में सक्षम बनाता है। धारा 7-सी (5) की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है

अनुदान-सहायता के भुगतान के लिए विचार किए जाने के योग्य शैक्षणिक संस्थान।

3. धारा 7-सी के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधिनियम के अनुसार, 1994 का आदेश सरकार द्वारा उड़ीसा राजपत्र में 21.11.1994 पर प्रकाशित किया गया था। इसने केवल अनुमोदित पदों के लिए अनुदान सहायता प्रदान की। 1994 के आदेश के पैराग्राफ 3 ने सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र संस्थानों की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया। 1994 के आदेश का पैराग्राफ 4 शैक्षणिक संस्थानों और पदों के वर्गीकरण से संबंधित है।

ऐसी संस्थाओं में। पैराग्राफ 4 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 4. इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, गैर-सरकारी शैक्षिक

पैरा 3 के उप-पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट संस्थान और ऐसे संस्थानों में पदों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

श्रेणियाँ अर्थात्:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए-श्रेणी I (i) गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान और

ऐसे संस्थान में अनुमोदित पद जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर चुके हैं या जिनके संबंध में सहायता अनुदान सरकार द्वारा शुरू होने से पहले स्वीकृत किया गया है। संशोधन अधिनियम,

टिप्पणी-यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई पद कार्यभार और प्रचलित मापदंड के आधार पर स्वीकार्य था, तो निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। बी-श्रेणी II (i) बी. ए., बी. एस. सी. या B.Com के लिए नियमित उम्मीदवारों को निर्देश देने और प्रस्तुत करने वाले कॉलेज। सरकारी सहमति या मान्यता और किसी विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त करने के बाद 1 जून 1994 तक पांच साल या उससे अधिक समय से नियमित रूप से काम कर रहे किसी भी विश्वविद्यालय की ऑनर्स के साथ या उसके बिना परीक्षा या तीन साल या उससे अधिक समय से यदि ऐसा संस्थान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में स्थित है, जिसे सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है और जिसे किसी भी पद के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

सी-श्रेणी III के गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान उप-पारस में निर्दिष्ट श्रेणियाँ। - — (1) और (2) पैरा का। 3 जो

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और सरकार और संबद्धता की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस पैराग्राफ की श्रेणियों I या II के भीतर नहीं आते हैं, और ऐसे संस्थान जिन्हें अधिनियम या ओडिशा राज्य के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा स्थापित और मान्यता दी जा सकती है।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

विश्वविद्यालय या परिषद द्वारा इसके तहत बनाया गया और संबद्धता, इस आदेश के प्रारंभ होने के बाद, जैसा भी मामला हो।

(जोर दिया गया)

श्रेणी I में गैर-सरकारी में अनुमोदित पद शामिल हैं।

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को यह प्राप्त होता रहेगा। गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनुदान जारी करने के लिए स्वीकार्य अन्य पद

सहायता ऐसे थे जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले भरे गए थे। श्रेणी II में ऐसे कॉलेज शामिल थे जो किसी भी विश्वविद्यालय की सरकारी मान्यता/सहमति और संबद्धता प्राप्त करने के बाद 1.6.1994 द्वारा 5 साल या उससे अधिक समय से नियमित रूप से काम कर रहे थे। शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित ऐसे संस्थानों के लिए अवधि घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। श्रेणी III उन संस्थानों से संबंधित है जो श्रेणी I या श्रेणी II में नहीं आते हैं और जिन्हें पहले ही स्थापित किया जा चुका है और जिन्हें मान्यता प्राप्त है

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके बाद विश्वविद्यालय या परिषद की सरकार और संबद्धता।

1994 के आदेश के पैराग्राफ 5 में एक प्रावधान है कि सभी

पैराग्राफ 4 की श्रेणी I (i) में शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणियों के संबंध में सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान माना जाएगा।

II और III, पैराग्राफ 5 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले, एक संस्थान सरकार और संबद्धता से मान्यता के बाद नियमित रूप से काम कर रहा है।

संबंधित विश्वविद्यालय या परिषद से 5 वर्ष के लिए या शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में 3 वर्ष के लिए। यह अनुच्छेद में दिया गया है

5 (2) (क) (iii) (क) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की संख्या निर्धारित जनसंख्या अनुपात के अनुसार निर्धारित की जानी है। प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 5 (2) (ए) (वी) के अनुसार, यदि किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान अनुदान सहायता जारी करने के लिए विचार किए जाने वाले पात्र संस्थानों की संख्या अधिक है, तो

निदेशक को पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत नामांकन को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थान/संस्थानों का चयन करना था।

संस्थान का प्रदर्शन; अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता; अनुशासन और शैक्षणिक मानकों का रखरखाव; और पास में सरकारी या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की उपलब्धता। यह अधिकार की बात नहीं है कि संस्थान सहायता अनुदान का दावा करने का हकदार है। अनुदान सहायता का प्रावधान बजट शैक्षणिक वर्ष के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताएं भी हैं।

1994 के आदेश के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान ने [2019] 12 एस. सी. आर. चलाया है।

लगातार; छात्रों के प्रवेश और उपस्थिति का सही रिकॉर्ड बनाए रखना; प्राप्तियों और व्यय के खाते और वेतन की बहिष्करण सूची; और संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिए गए अन्य भत्ते। शैक्षणिक संस्थान में एक शासी निकाय है जिसका विधिवत गठन किया गया है और प्रासंगिक नियमों के तहत अनुमोदित किया गया है। शैक्षणिक संस्थान के शासी निकाय ने सभी मामलों में और उक्त आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया है। शैक्षणिक संस्थान ने सभी मानदंडों को पूरा किया है और निदेशक ने अनुदान सहायता के लिए ऐसे संस्थान की अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की है। पैराग्राफ 5 के प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

" 5. (1) पैरा 4 की श्रेणी I (i) में शामिल सभी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान माना जाएगा।

(2) श्रेणी II या श्रेणी III या पैरा 4 के अंतर्गत आने वाला कोई भी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिसूचित होने का पात्र नहीं होगा। इस आदेश के तहत एक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में जब तक कि

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया, अर्थात्:

(ए) (i) श्रेणी II के अंतर्गत आने वाला एक गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, सरकार से मान्यता और संबंधित विश्वविद्यालय या परिषद से संबद्धता प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से काम कर रहा है।

5 वर्ष या उससे अधिक के लिए, या 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए, यदि ऐसा शैक्षणिक संस्थान किसी शैक्षणिक संस्थान में स्थित है।

पिछड़े जिले, जून 1994 के पहले दिन से पहले।

(ii) एक संस्थान जो श्रेणी II के अंतर्गत आने वाला एक गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, की स्थापना की गई है और मान्यता और संबद्धता प्राप्त करने के बाद पांच साल की योग्यता अवधि के लिए नियमित रूप से काम कर रहा है:

बशर्ते कि योग्यता अवधि तीन साल की होगी यदि ऐसा संस्थान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में स्थित है या महिला शैक्षणिक संस्थान है।

विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। नोट: इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को महिला शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस तरह की मान्यता और संबद्धता प्राप्त न हो और ऐसी कोई भी संस्था महिला शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगी यदि ओडिशा राज्य v.

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

बाद में इसे एक सह-शैक्षणिक संस्थान में बदल दिया जाता है।

इस तरह के धर्मांतरण की स्थिति में, इसे एक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान घोषित करने वाली अधिसूचना, यदि कोई हो, को संशोधित किया जाएगा।

(iii) इस आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई जूनियर कॉलेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या कॉलेज नहीं।

हो सकता है कि श्रेणी III के तहत आने वाले लोग अधिसूचित होने के पात्र हों।

सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में यदि -

(क) कनिष्ठ महाविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक के मामले में

स्कूल, उस ब्लॉक में पहले से ही दो सहायता प्राप्त जूनियर कॉलेज/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या यदि संस्थान स्थित है

शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक से अधिक सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय हैं।

(ख) एक कॉलेज के मामले में, उस ब्लॉक में पहले से ही एक सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज है या यदि संस्थान शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो प्रत्येक एक लाख आबादी के लिए एक सहायता प्राप्त कॉलेज है।
कम से कम एक के अधीन।

नोट-बी. ए., बी. एससी. या बी. ए. करने वाला एक शैक्षणिक संस्थान। B.Com। डिग्री पाठ्यक्रम और कनिष्ठ महाविद्यालय या उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम, इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, दो अलग-अलग संस्थानों के रूप में माने जाएंगे।

4. 1994 के आदेश के पैराग्राफ 9 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्रेणी I संस्थान में एक शिक्षण या गैर-शिक्षण पद को एक अनुमोदित पद माना जाएगा, जिसके लिए धारा 7-सी को शामिल करने से पहले किसी भी समय सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। वह पद जो पैराग्राफ 9 (1) में शामिल नहीं है, अन्य शर्तों के साथ अनुमोदन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि वह पद धारा 7-सी को शामिल करने से पहले कार्य-भार और प्रचलित मानदंड के अनुसार स्वीकार्य था। श्रेणी II में आने वाले शैक्षणिक संस्थान में एक पद भी अन्य बातों के साथ-साथ अनुलग्नक III के अनुसार निर्धारित कार्य-भार और मापदंड के अनुसार स्वीकार्य था। संस्थान में श्रेणी III के पद के लिए, कमोबेश इसी तरह के सवार हैं

बनाया गया।

5. पैराग्राफ 9 (2) (ई) में प्रावधान है कि पद को योग्यता अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर भरा जाना चाहिए, न कि मानद या अंशकालिक आधार पर।

अधिनियम, नियमों और निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और व्यक्तियों को इस तरह के पद पर रहने के लिए योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 9 (4)

किसी पद की पात्रता की तिथि प्रदान करता है। पैराग्राफ 9 (4) में निहित प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

" 9. (4) (i) संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले जिस पद के लिए अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई है, उसकी पात्रता की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन पदों को भर्ती किया गया था।

पहली बार सहायता अनुदान के रूप में।
((ii) जिस पद के लिए अनुदान-सहायता स्वीकृत नहीं की गई है, उसकी पात्रता की तारीख उस तारीख के बाद के शैक्षणिक वर्ष का पहला दिन होगा जिस दिन एक अनुमोदित पद योग्यता अवधि पूरी करता है।

जैसा पद पर लागू होता है:

बशर्ते कि श्रेणी II या III के भीतर आने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी पद के संबंध में पात्रता की तारीख किसी भी मामले में 1-6-1994 से पहले की तारीख नहीं होगी।

6. पैराग्राफ 10 (3) के अनुसार, श्रेणी I संस्थान में एक पद के लिए

जिसे संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है, वह चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाने वाली दर पर अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा। 7. 1994 के आदेश के पैराग्राफ 16 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा निदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जब तक कि कोई व्यक्ति कानूनी और वैध रूप से नियुक्त न हो और उसके पास योग्यता और अनुभव न हो, वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।

सहायता अनुदान प्राप्त करना। पैराग्राफ 16 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 16. (1) पैरा 15 के तहत शासी निकाय से एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निदेशक प्रत्येक मामले की जांच करेगा और यदि वह संतुष्ट है कि शासी निकाय द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति पात्र है

किसी अनुमोदित पद के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने पर वह इस आशय का आदेश देगा। जहाँ निदेशक संतुष्ट होता है कि एक व्यक्ति

शासी निकाय द्वारा प्रस्तावित सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, उसके निर्णय को शासी निकाय को सूचित किया जाएगा। सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, निदेशक किसी भी जानकारी, स्पष्टीकरण या दस्तावेज के लिए कॉल कर सकता है जिसे वह अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है। उद्देश्य।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी सहायता प्राप्त पद के लिए अनुदान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि ओडिशा राज्य v.

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

(i) वह कानून, नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर कानूनी और वैध रूप से नियुक्त किया गया है और

उनकी नियुक्ति के समय लागू निर्देश और पात्रता की तारीख को और उसके बाद भी उस पद पर बने रहना जारी रखे हुए हैं

सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पद; और
((ii) उसके पास अपनी भर्ती के समय या उस तारीख को उस पद को धारण करने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव था, जिस तारीख को वह पद सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकार्य था, जो भी बाद में हो।

8. प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुदान-सहायता का दावा केवल निर्धारित कार्य पूरा होने पर अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

9. सरकार ने वित्तीय बाधाओं पर विचार करते हुए 1994 के आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया है, जिसे 2004 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अधिनियम की धारा 7-सी (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया। 1994 के आदेश के तहत कर्मचारियों की संस्था को दी जाने वाली वेतन लागत के बजाय एक महत्वपूर्ण विचलन किया गया था, अवधारणा को ब्लॉक अनुदान में बदल दिया गया है, जो वेतन और भत्ते को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अनुदान-इन-सहायता की एक निश्चित राशि होगी। खंड अनुदान की मात्रा अधिनियम की धारा 7-सी (1) में प्रदान की गई सरकार की आर्थिक क्षमता पर निर्भर है और यह शासी निकाय द्वारा ऐसे किसी भी कर्मचारी को देय वेतन और भत्ते से संबंधित नहीं है।

समय-समय पर। पैराग्राफ 3 यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 3. सहायता अनुदान की स्वीकार्यता-(1) प्रत्येक निजी शैक्षणिक संस्थान जो एक गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो 1 जून 1994 तक अनुदान सहायता आदेश, 1994 के अनुसार सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र हो गया है, अधिनियम की धारा 3 के खंड (बी) के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और

इस प्रकार अधिसूचित संस्था सहायता अनुदान प्राप्त करने की हकदार होगी -

उपखंड अनुदान का तरीका, उपखंड में दिए गए तरीके से निर्धारित किया गया है

पैरा (2):

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि एक कॉलेज, एक के रूप में अधिसूचित होने के योग्य होने के लिए

सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में दो से अधिक नहीं होने चाहिए

मंत्री कर्मचारी और दो चपरासी।

(2) उप-पैरा (1) के तहत निजी शैक्षणिक संस्थानों को देय खंड अनुदान अनुदान की एक निश्चित राशि होगी, जो

वेतन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा और

शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 1 जनवरी, 2004 के दिन के अनुसार भत्ते जो

सहायता अनुदान आदेश, 1994 के अनुसार 1 जून, 1994 तक सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है, लेकिन

ऐसे खंड अनुदान की मात्रा का निर्धारण इसके भीतर होगा।

सरकार की आर्थिक क्षमता की सीमाएँ, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है

अधिनियम की धारा 7-सी की उप-धारा (1) और इसका कोई संबंध नहीं होगा।

द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी को देय वेतन और भत्ते के साथ

समय-समय पर शासी निकाय:

बशर्ते कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को प्राप्त करने के लिए अधिसूचित नहीं किया जाएगा

ऐसा खंड अनुदान जब तक कि यह प्रदर्शन मानदंडों को पूरा नहीं करता है धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ii) और (vii) में परिकल्पित

अधिनियम का डी "।

10. 2004 के अनुच्छेद आदेश में निहित निरसन और बचत के बारे में प्रावधान यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 4. निरसन और बचत-(1) ओडिशा (गैर-सरकारी)

पैरा 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित है। (2) उप-पैरा (1) के तहत निरस्तीकरण के बावजूद, निजी शैक्षणिक संस्थान जो किसी भी सहायता अनुदान की प्राप्ति में हैं।

इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से तुरंत पहले इस तरह से निरस्त आदेश के तहत सरकार से इस तरह का अनुदान-सहायता प्राप्त करना जारी रहेगा, जैसे कि अनुदान-सहायता आदेश, 1994 नहीं दिया गया था। निरस्त कर दिया गया "।

1994 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है सिवाय इन उद्देश्यों के लिए

पैराग्राफ 3 (1) में लिखा गया है। 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 (2) में निजी शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित प्रावधान हैं जो हैं -

इस प्रकार निरस्त आदेश के तहत किसी भी सहायता अनुदान का लाभ जारी रहेगा।

वैसा ही करें।

11. बाद में, राज्य सरकार ने सहायता अनुदान की घोषणा की है

2008 के आर को 7.1.2009 से अधिसूचित किया गया। 2004 का आदेश

कुछ बचतों के साथ निरस्त किया गया। शैक्षिक योग्यता

2004 के आदेश के पैराग्राफ 3 में इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। खंड अनुदान पर विचार करने के लिए पात्रता अनुच्छेद 4 में निर्धारित की गई है।

एआरग्राफ 20 निरसन और बचत से संबंधित है। पैराग्राफ 3,4,16 और ई यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 3. पात्र शैक्षणिक संस्थान-निम्नलिखित गैर-शैक्षणिक संस्थान

सरकारी शैक्षणिक संस्थान ही पात्र होंगे - सहायता प्राप्त के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए खंड अनुदान पर विचार

अधिनियम की धारा 3 के खंड (बी) के तहत शैक्षणिक संस्थान,

अर्थात्:

(1) मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या कनिष्ठ महाविद्यालय सरकार द्वारा और परिषद से संबद्ध

कला, विज्ञान या वाणिज्य विषयों में माध्यमिक परीक्षा उक्त परिषद द्वारा संचालित।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और किसी भी संस्थान से संबद्ध महाविद्यालय निर्देश प्रदान करने वाले और नियमित रूप से प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों की

+ 3 कला, + 3 विज्ञान और + 3 वाणिज्य के लिए उम्मीदवार

उत्कल, बेरहामपुर, संबलपुर की डिग्री परीक्षाएँ,

फकीर मोहन, उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय और रेवेनशॉ

सम्मान के साथ या उसके बिना एकात्मक विश्वविद्यालय।

**

*

***

***

पैरा 3 में वर्णित शैक्षणिक संस्थान जो सरकार की मान्यता और संबद्धता के साथ स्थापित

परिषद या विश्वविद्यालय, जैसा भी मामला हो, उस पर या उससे पहले हो सकते हैं।

1 जून 1998 को शैक्षिक रूप से उन्नत जिलों के संबंध में

या शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के संबंध में 1 जून 2000 से पहले

स्थापित जिले और महिला शैक्षणिक संस्थान

पिछड़े जिले ब्लॉक अनुदान निर्धारित करने के लिए पात्र हैं पैराग्राफ-16 में निर्दिष्ट तरीके से।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) इस आदेश के अनुसार खंड अनुदान के लिए विचार किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान को मान्यता प्राप्त होगी और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए उस संस्थान में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम, धारा और विषय के लिए शैक्षिक रूप से उन्नत जिले के संबंध में न्यूनतम 5 वर्ष और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले और महिला शैक्षणिक संस्थान के संबंध में 3 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बिना किसी विराम या विराम के संबद्धता।

स्थापना की तारीख से उप पैरा (1) के प्रावधानों के अधीनः बशर्ते कि विराम या विराम के मामले में, पात्रता प्राप्त करने के लिए,

उक्त अर्हता अवधि की गणना पुनरुद्धार की तारीख से की जाएगी।

***

***

16. खंड अनुदान के घटक और स्वीकार्यता (1) अनुच्छेद 9 के तहत गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान को देय खंड अनुदान अनुदान की एक निश्चित राशि होगी, जिसका निर्धारण वर्तमान वेतनमान के प्रारंभिक स्तर पर गणना की गई परिलब्धियों के 40 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

मौजूदा कर्मचारियों सहित। महँगाई भुगतान और मौजूदा महँगाई भत्ता की तारीख से संभावित रूप से स्वीकार्य

शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पक्ष में अनुदान-सहायता आदेश, 2008 की अधिसूचना

जो 1 जून 2003 तक सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र हो गए हैं।

(2) महँगाई वेतन सहित शेष परिलब्धि और

उप-पैरा के तहत भुगतान के बाद महँगाई भत्ता। (1) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान के संबंधित शासी निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

***

***

***

20. निरसन और बचत-(1) उड़ीसा (गैर-सरकारी महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय) अनुदान सहायता आदेश, 2004 जिसे इसके बाद अनुदान सहायता आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है, इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, सिवाय ऐसे निजी उद्देश्यों के लिए

शैक्षणिक संस्थान जो एक गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज या उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो पात्र हो गया है

ओडिशा राज्य खंड अनुदान के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने के हकदार होने के लिए सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले उक्त आदेश के तहत v.

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

उप-पैरा में दिए गए तरीके से निर्धारित किया गया। (2) में से

अनुदान-सहायता आदेश, 2004 का अनुच्छेद 3।

(2) उप-पैरा के तहत निरसन के बावजूद। (1) , निजी शैक्षणिक संस्थान जो किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति में हैं या इस
प्रकार निरस्त आदेशों के तहत सरकार से अनुदान को अवरुद्ध करें

इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से तुरंत पहले, ऐसी सहायता अनुदान या खंड अनुदान प्राप्त करना जारी रहेगा, जैसे कि उड़ीसा (गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज)

महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) अनुदान-सहायता आदेश, 1994 और अनुदान-सहायता आदेश, 2004 को निरस्त नहीं किया गया था।

यह प्रावधान किया गया है कि परिषद या विश्वविद्यालयों की सरकारी मान्यता और संबद्धता के साथ स्थापित ऐसे संस्थान, जैसा भी मामला हो, <ID1 पर या उससे पहले और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों और महिला शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में <ID2 पर या उससे पहले खंड अनुदान के लिए पात्र थे।

16. खंड अनुदान और प्रबंधन के दायित्व की दर पैराग्राफ 9 में प्रदान की गई है। यह संस्थान अनुमोदित शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की वेतन लागत के 40 प्रतिशत के लिए खंड अनुदान के रूप में अनुदान देने का पात्र होगा। संस्थानों के शासी निकाय द्वारा वहन की जाने वाली शेष वेतन लागत। खंड अनुदान के लिए पदों की पात्रता पैराग्राफ 10 में दिए गए कार्य-भार और मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। वास्तविक नामांकन, छात्रों की संख्या, उच्च माध्यमिक या डिग्री परीक्षा में प्रस्तुत उम्मीदवारों की संख्या आदि के संबंध में कार्य-भार निर्धारित किया जाएगा। पैराग्राफ 11 ब्लॉक अनुदान के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 12 के अनुसार,

शासी निकाय को अनुमोदित पदों के खिलाफ खंड अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्तियों के संबंध में आवेदन करना होता है। पात्रता, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त सवारों के साथ सशर्त है। पैराग्राफ 14 राज्य के दायित्व को सीमित करता है। सरकार किसी भी समय एक अधिसूचित पद के लिए कानूनी और वैध रूप से नियुक्त व्यक्ति को खंड अनुदान के रूप में अनुदान प्रदान करेगी। 2008 के आदेश के अनुच्छेद 20 में निहित निरसन और बचत खंड। खंड अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के लिए बचत है

12. इसके बाद, 2009 के आदेश को 6.6.2009 से प्रभावी घोषित, अधिसूचित और लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। पैराग्राफ 3 योग्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित,

खंड अनुदान पैराग्राफ 4 में निहित है और खंड अनुदान की दर और संवितरण पैराग्राफ 5 के अनुसार है। 2009 के आदेश के तहत, देय खंड अनुदान सहायता अनुदान की एक निश्चित राशि होगी, जिसका निर्धारण ऐसे संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतन के पूर्व-संशोधित समय पैमाने पर प्रारंभिक मूल वेतन के साथ-साथ 7 वृद्धि और 41 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। खंड अनुदान का निर्धारण सरकार की आर्थिक क्षमता के भीतर होगा।

1994 के निरस्त आदेश के तहत सहायता अनुदान जारी करने का दावा करने के लिए 2011 और 2012 के दौरान न्यायाधिकरण में दायर किए गए थे। कर्मचारियों द्वारा आवेदन देर से दायर किए गए थे। वे 1994 के आदेश के तहत सहायता देने के हकदार नहीं थे। सहायता अनुदान को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखने के लिए विभिन्न कारक हैं सहायता अनुदान जारी करना। संबंधित समय पर कर्मचारियों द्वारा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया था और उन्होंने अभ्यावेदन, रिट याचिकाएं और मूल आवेदन देर से दायर किए हैं। अलग-अलग विचार लिए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामले। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने कुछ विवादित निर्णयों और आदेशों में राय दी है कि कर्मचारी 1994 के आदेश के तहत सहायता देने के हकदार हैं, जबकि लोकनाथ बेहरा बनाम। ओडिशा राज्य, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राय दी है कि इसके निरसन के बाद 1994 के आदेश के तहत अनुदान-सहायता का दावा नहीं किया जा सकता है। हमें अधिनियम की योजना और उसके तहत जारी आदेशों के प्रावधानों के माध्यम से लिया गया है।

14. कर्मचारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 1994 के आदेश के तहत कर्मचारियों को उन पदों के संबंध में अनुदान सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है जो ओडिशा बनाम राज्य में थे।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

वर्ष 2010 में एक अन्य मामले में आवेदन की अनुमति दी गई। इसके बाद, समान राहत का दावा करने के लिए समानता के आधार पर रिट याचिकाएं दायर की गईं और उच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रतिनिधित्व दायर किया गया, जिसे राज्य सरकार ने अवैध रूप से खारिज कर दिया था। इसके बाद, न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किए गए, और उन्हें उचित रूप से अनुमति दी गई है। लोकनाथ बेहरा मामले में निर्णय कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है क्योंकि एक बार अधिकार अर्जित हो जाने के बाद और सहायता अनुदान का दावा करने के लिए निहित होने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने वाले आदेशों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लोकनाथ बेहरा के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए। कर्मचारी 1994 के आदेश के अनुसार अपनी नियुक्ति की मंजूरी और अनुदान सहायता के भुगतान के हकदार थे। 1994 के आदेश में शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान-सहायता लाभ देने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उच्च शिक्षा विभाग, सरकार का संचार ओडिशा दिनांक 1 इंगित करता है कि सहायता अनुदान का दावा किया जा सकता है और 1994 के आदेश के प्रावधानों के निरसन के बावजूद पात्रता जारी है। संबंधित पदों पर कब्जा करने के लिए उत्तरदाताओं के चयन और योग्यता के तरीके के बारे में कोई विवाद नहीं है।

पद. इस प्रकार, योग्यता अवधि पूरी होने के बाद, अनुदान-सहायता जारी करने का आदेश दिया गया है। 5.7.2011 पर एक कार्यालय आदेश पारित किया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं को सूचित किया गया था कि उन्हें 2008 के आदेश के संदर्भ में खंड अनुदान के 40 प्रतिशत के भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके बाद न्यायाधिकरण के समक्ष मामले दायर किए गए। चूंकि कुछ कॉलेज शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित हैं, इसलिए 1994 के आदेश के तहत लाभ के भुगतान से इनकार करना उचित नहीं होगा। न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी बड़ी संख्या में कॉलेजों को इसी तरह के लाभ प्रदान किए गए हैं। कर्मचारियों को 2008 के आदेश के तहत कम अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जो ब्लॉक अनुदान का 40 प्रतिशत प्रदान करता है, जहां 1994 के वेतन आदेश के तहत अनुदान-सहायता उपलब्ध है, वार्षिक वृद्धि के लाभ, महँगाई भत्ता आदि जो 2008 के आदेश में शामिल नहीं हैं।

15. यह धारा 5 में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है

अधिनियम कि किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के अलावा कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान जिसकी मान्यता की आवश्यकता है, स्थापित नहीं किया जाएगा। स्थापना की अनुमति कुछ शर्तों [2019] 12 एस. सी. आर. को पूरा करने पर दी जानी चाहिए।

जैसा कि धारा 5 में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 6 शैक्षणिक संस्थान की मान्यता से संबंधित है। जिन संस्थानों को मान्यता प्राप्त है वे मान्यता प्राप्त नहीं हैं। विवाद में।

16. हम अधिनियम की धारा 7-सी से संबंधित हैं, जिसे 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। धारा 7-सी इसे बनाती है

यह स्पष्ट है कि सरकार को सीमा के भीतर अनुदान-सहायता प्रदान करनी होगी इसकी आर्थिक क्षमता और इसे निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान-सहायता के वितरण के लिए "वार्षिक" राशि अलग रखनी होगी, जो उचित लगे और संस्थानों/पदों को अनुदान-सहायता के लिए निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। सहायता अनुदान वैकल्पिक है और इसे प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन दायर किया जाना चाहिए।

यह। राज्य सरकार को दायर किए गए आवेदन पर भी यह स्वतः जारी नहीं होता है। यदि संस्थान के शासी निकाय को राज्य सरकार से कोई सहायता अनुदान नहीं मिला है और वह इसे प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, तो उसे शैक्षणिक वर्ष के चालू सत्र के दौरान उस उद्देश्य के लिए आवेदन करना होगा।

संबंधित, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान किया जाना है। सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन को 1994 के आदेश में उल्लिखित विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए निपटाया जाना चाहिए, अर्थात, योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष/3 वर्ष की योग्यता अवधि के लिए पद लगातार भरा गया है। यह संस्थान में उपस्थिति, छात्रों की संख्या, कार्य-भार, नियुक्ति की वैधता, नियुक्ति की तारीख और 1994 के आदेश के पैराग्राफ 15 में दिए गए अन्य विवरणों के बारे में विभिन्न अन्य जानकारी पर भी निर्भर करता है। 1994 के आदेश के पैराग्राफ 16 के अनुसार, निदेशक को प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करनी होती है। पैराग्राफ 5 (2) (v) के संदर्भ में, निदेशक को प्राथमिक शर्तों यानी क्षेत्र में मौजूद संस्थानों की संख्या का पता लगाना होता है। निदेशक क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं, पिछले तीन वर्षों के भीतर औसत नामांकन, छात्रों की औसत संख्या, परीक्षा में संस्थान के प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, अनुशासन और शैक्षणिक रखरखाव को ध्यान में रखते हुए अनुमेय आर्थिक सीमाओं के भीतर शैक्षणिक संस्थान का चयन करेगा। मानकों, संस्थानों की संख्या की तुलना में जनसंख्या का अनुपात और आस-पास के क्षेत्र में सरकारी या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की उपलब्धता। शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय या परिषद के नियमों का नियमित रूप से पालन करते हुए निर्देश प्रदान करता रहा होगा; शैक्षणिक संस्थान ने परिषद या विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित करने से इनकार नहीं किया है, पाठ्यक्रम केवल मान्यता या संबद्धता के अनुसार चलाए जाते हैं।

17. सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र और इच्छुक एक गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान को

फॉर्म ए में आवेदन करें। पात्रता की योग्यता अवधि पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन किया जाएगा। निदेशक 1994 के आदेश के पैराग्राफ 7 (2) में दिए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों से अवधि बढ़ा सकता है। पैराग्राफ 9 में दी गई अतिरिक्त आवश्यकता कार्य-भार और अन्य मापदंडों की है। कार्य भार वास्तविक नामांकन के संबंध में निर्धारित किया जाएगा

शैक्षणिक वर्ष जिसमें पद सहायता के लिए स्वीकार्य है और होना चाहिए योग्यता अवधि पूरी की। पद को पूर्ण रूप से भरना होगा।

समय के आधार पर, न कि मानद या अंशकालिक आधार पर। यदि कार्य भार और मापदंड के आधार पर सहायता के लिए स्वीकार्य कोई पद निर्धारित तरीके से नहीं भरा गया है, तो उस अवधि को योग्यता अवधि की गणना में नहीं गिना जाएगा। जैसा कि पैराग्राफ 9 (3) में प्रावधान किया गया है, निदेशक, अपनी संतुष्टि पर कि एक पद अनुमोदन के लिए पात्र है, राज्य सरकार की पूर्व सहमति के साथ उस प्रभाव के लिए एक आदेश जारी करेगा। उस तारीख से जिस पद को मंजूरी दी गई है और विभिन्न अन्य कारकों पर विचार करते हुए अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए पद की पात्रता की तारीख।

18. 1994 के आदेश की योजना से यह स्पष्ट है कि अनुदान-सहायता का दावा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और

अच्छे और पर्याप्त कारण पर निदेशक अवधि बढ़ा सकता है, अन्यथा इसका दावा नहीं किया जा सकता है। 5 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी, जैसा भी मामला हो, अधिकार की कोई स्वतः प्राप्ति नहीं होती है।

सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए। यह निदेशक की राय पर निर्भर करता है कि क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान/संस्थान सबसे अच्छा होगा। 19. कर्मचारियों ने वर्ष में पहली बार 1994 के आदेश के तहत अनुदान-सहायता का दावा करने के लिए अभ्यावेदन दायर किया है

वह भी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने मूल दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया आवेदन, जबकि योग्यता अवधि पूरी होने पर, संस्थान को निदेशक को सहायता अनुदान का दावा करने के लिए सूचित करना होता है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि संस्थानों ने विशेष शैक्षणिक वर्ष में और 1994 के आदेश के अनुसार आवेदन करने के लिए निर्धारित समय के भीतर विधिवत आवेदन किया है और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की गई थी। इस तरह के कोई सहायक दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखे गए हैं। जो भी हो सकता है। तथ्य यह है कि कोई आदेश [2019] 12 एस. सी. आर. नहीं है।

अभिलेख पर रखा कि क्या संस्था द्वारा की गई ऐसी प्रार्थना को 1994 के आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया था। रिकॉर्ड पर रखे गए अभ्यावेदन 2011-12 के हैं, क्योंकि अनुदान-सहायता वार्षिक है, जो राज्य की आर्थिक सीमाओं और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

1994 का आदेश। 20. हमारी राय में, इसके निरसन के बाद 1994 के आदेश के तहत अनुदान जारी करने के लिए की गई प्रार्थना गलत थी और यह नहीं होगी

आर्थिक क्षमता के भीतर किसी भी सरकार के लिए सहायता अनुदान को पूर्वव्यापी रूप से जारी करना संभव है। विलम्ब स्वयं सहायता अनुदान का दावा करने के अधिकार, यदि कोई हो, को पराजित कर देता है जो सहायता के विकल्प पर निर्भर करता है।

इसके लिए आवेदन करने वाली संस्था। वे अनुदान-सहायता के लिए आवेदन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं क्योंकि यह सरकार द्वारा लगाए गए कई प्रावधानों के साथ आता है। इस प्रकार, 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद देर से दायर किए गए मूल आवेदनों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता था और 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद आवेदन दायर करने वाले कर्मचारियों को हकदार नहीं कहा जा सकता था।

1994 के आदेश के तहत उपलब्ध अपने अधिकार, यदि कोई हो, पर सो जाने के कारण किसी भी राहत के लिए। 21. अगला प्रश्न जो हम विचार के लिए लेते हैं, वह 2004 के आदेश द्वारा 1994 के आदेश के निरसन के प्रभाव के बारे में है। 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 में निहित प्रावधानों ने पैराग्राफ 3 (1) के उद्देश्यों को छोड़कर 1994 के आदेश को निरस्त कर दिया है। पैराग्राफ 3 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निजी शैक्षणिक संस्थान, जो एक गैर-सरकारी कॉलेज, जूनियर कॉलेज या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो 1994 के आदेश के तहत सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र हो गया है, अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और पैराग्राफ 3 (2) में प्रदान किए गए तरीके से ब्लॉक अनुदान के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने का हकदार होगा। पैराग्राफ 3 के प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में पात्र होने के लिए एक कॉलेज में दो से अधिक मंत्री कर्मचारी और दो चपरासी नहीं होने चाहिए। 1994 के आदेश में कोई अन्य बचत नहीं है। हालाँकि, 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 (2) में ओडिशा राज्य v का प्रावधान है।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

1994 के आदेश के निरसन के बावजूद, जो निजी शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार निरस्त आदेश के तहत सरकार से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अनुदान-सहायता प्राप्त करना जारी रहेगा जैसे कि अनुदान-सहायता आदेश, 1994 को निरस्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई कॉलेज किसी पद के संबंध में अनुदान-सहायता प्राप्त कर रहा है, तो उसे 1994 के आदेश के तहत प्राप्त करना जारी रहेगा, हालांकि, यदि उसे 1994 के आदेश की बचत के रूप में अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वह केवल पैराग्राफ 3 (1) के तहत ब्लॉक अनुदान का हकदार है, जो 1994 के आदेश के तहत अनुदान-सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। 1994 के आदेश की बचत एक सीमित उद्देश्य के लिए है कि संस्थान को उन पदों से संबंधित अनुदान सहायता प्राप्त होती रहेगी जिन्हें 1994 के आदेश के निरसन से पहले स्वीकृत किया गया था।

22. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 भी निरसन के प्रभाव से संबंधित है, जिसे यहां निकाला गया है:

" 6. निरसन का प्रभाव। जहाँ यह अधिनियम, या कोई 1 [केंद्रीय अधिनियम] या

एक अलग इरादा दिखाई देता है, निरसन नहीं होगा
(क) किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित करें जो उस समय लागू या मौजूद न हो।

निरसन प्रभावी होता है; या

((ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करता है या

इसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया कुछ भी; या

(ग) अर्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है।

या इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन उपगत किया गया हो; या

(घ) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में किए गए किसी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है; या

(ई) संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है। उपरोक्त किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा, और ऐसी किसी भी जांच, कानूनी,

कार्यवाही या उपचार स्थापित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है,

और ऐसा कोई दंड, ज़ब्त या दंड इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो निरस्तीकरण अधिनियम या विनियम पारित नहीं किया गया हो।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों में कहा गया है कि अधिनियम के निरसन से संबंधित व्यक्ति को दिया जाने वाला लाभ प्रभावित नहीं होगा। हालाँकि, निरसन किसी भी ऐसी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो उस समय लागू या मौजूदा नहीं थी जब निरसन [2019] 12 एस. सी. आर. लेता है।

जगह। इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, सबसे अच्छा मार्गदर्शक 2004 के क्रम में निरसन प्रावधानों के संदर्भ में पाया गया है जो स्पष्ट और स्पष्ट हैं।

23. सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में, 14 वां संस्करण

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, इसके बीच का अंतर

धारा 6 के प्रावधानों द्वारा संरक्षित, सामान्य खंड अधिनियम है

अक्सर महान उत्कृष्टता में से एक। निरस्तीकरण से क्या अप्रभावित है

एक क़ानून एक अधिकार है जो इसके तहत अर्जित या अर्जित किया जाता है न कि केवल एक अधिकार

' आशा या अपेक्षा ", या अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता।

एक लागू करने के लिए एक कानूनी कार्यवाही के बीच एक अंतर खींचा जाता है अर्जित या उपार्जित अधिकार और अधिग्रहण के लिए कानूनी कार्यवाही

एक अधिकार। पहला बचा लिया गया है जबकि दूसरा नहीं है। निर्माण में

हांगकांग व्याख्या की धारा 10 के समान प्रावधान अध्यादेश, लॉर्ड मॉरिस प्रिवी काउंसिल के लिए बोल रहे हैं

अप्रभावित और संरक्षित। एक प्रक्रिया होने पर भी इसे संरक्षित किया जाएगा। परिमाणीकरण आवश्यक है। लेकिन एक स्पष्ट अंतर है

एक अधिकार और एक जांच के संबंध में एक जांच के बीच

जिसे यह तय करना है कि कुछ अधिकार होना चाहिए या नहीं। दिया गया। एक निरसन पर, पूर्व को व्याख्या द्वारा संरक्षित किया जाता है

एक्ट करें। बाद वाला 3 नहीं है। प्रभु चांसेल्लर (प्रभु) एक पूर्ववर्ती प्रिवी काउंसिल मामले में हर्शेल) की टिप्पणियाँ,

1 फ्री लंका इंश्योरेंस कंपनी v. रणसिंघे, (1964) 1 ऑल ईआर 457, p.462: 1964 एसी 541

(पी. सी.); बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1614, पी. 1621 : 1989 (2) एससीसी 557। 2 लोक निर्माण निदेशक v. हो पो सांग, (1961) 2 ऑल ई. आर. 721, पी. 731 : (1963) 3 डब्ल्यूएलआर 39 (पीसी); बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य, ऊपर; गजराज सिंह बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 412, पी. 426 : (1997) 1 एससीसी 650। 3 लोक निर्माण निदेशक बनाम। हो पो सांग, (1961) 2 ऑल ई. आर. 721, पी. 731 : (1963) 3 डब्ल्यूएलआर 39 (पीसी)।

फ्री लंका इंश्योरेंस कं. वी. में भी संदर्भित। रणसिंघे, (1964) 1 ऑल ईआर 457, p.462: 1964 अधिनियम 541 (पी. सी.) [धारा 6 (3) की व्याख्या। सीलोन व्याख्या

अध्यादेश, 1900]; ईशा वलीमोहमद बनाम। हाजी गुलाम मोहम्मद, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2061, पी. 2065 (1974) 2 एससीसी 484; एम. एस. शिवानंदा बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन

निगम, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 77, पी. 81 : (1980) 1 एस. सी. सी. 149; कनया राम बनाम।

ओडीशा का राजिंदर राज्य बनाम। अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

कि "बिना किसी अधिनियम के लाभ उठाने का मात्र अधिकार

उस अधिकार का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

संपत्ति को अर्जित अधिकार नहीं माना जा सकता है

इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के रूप में समझा जाता है कि यदि एक के तहत कदम उठाए जाते हैं

अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून, अधिकार तब भी अर्जित होता है जब कदम उठाए जाते हैं

लिया गया तब तक नहीं पहुँचता जब अधिकार 3 दिया जाता है, और न ही

कहा गया अवलोकन इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि यदि कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं

एक अधिकार का प्रवर्तन अस्तित्व में आता है, अधिकार एक नहीं है

सही अर्जित किया। जैसा कि सिन्हा, सी. जे. द्वारा समझाया गया है

भगवान हर्षल केवल इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण हैं कि " केवल अधिकार, जो एक निरस्तीकरण क़ानून की तारीख पर मौजूद है

निरस्त कानून के प्रावधानों का लाभ एक अधिकार नहीं है

उपार्जित 1. अनुचित या आकस्मिक अधिकार और देनदारियाँ, अर्थात अधिकार

और देनदारियाँ जो उपार्जित हुई हैं लेकिन जो प्रक्रिया में हैं

लागू किया जा रहा है या अभी तक लागू किया जाना है खंड के लिए अप्रभावित हैं

(ग) स्पष्ट रूप से विचार करता है कि ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जब एक

जाँच, कानूनी कार्यवाही या उपचार जारी रखना पड़ सकता है।

या अधिकार या दायित्व को लागू करने से पहले सहारा लिया जा सकता है। इस तरह

एक अधिकार या दायित्व केवल एक 'आशा' नहीं है जो

क्षमा करें।

***

***

***

कुमार, (1985) 1 एस. सी. सी. 436, पी. 441 : ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 371; बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1614, पी. 1623 : 1989 (2) एस. सी. सी. 557; विनोद गुरुदास रायकर बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2156, पी. 2159 : (1991) 4 एस. सी. सी. 333; पी. वी. मोहम्मद बारमे सन्स बनाम। प्रवर्तन निदेशक, ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1188 p.1192: (1992) 4 जे. टी. 565; थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जे. टी. 1999 (8) 66, पृ. 98 , 108 : ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3923, पी. 3942 ; अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी, आकाशवाणी 2001 एससी 3580, p.3589: (2001) 8 एससीसी 397।

4 एबॉट वी। भूमि मंत्री, (1895) एसी 425,431: 72 एलटी 113 (पीसी)। 5 लोक निर्माण निदेशक v. हो पो सांग, (1961) 2 ऑल ई. आर. 721, पी. 732 , 733 (पीसी)। 6 सखाराम बनाम। मानिकचंद, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 354, पी. 356 , 357. आगे हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाम देखें। हरिदास मुंद्रा, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1826, पी. 1832 : (1972) 3 एस. सी. सी. 684; लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथूराम, ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 974, पी. 979 : (1971) 1 एस. सी. सी. 721; ज़ोहराबी बनाम। अर्जुन, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 101, पी. 102 : (1980) 2 एस. सी. सी. 203; कनया राम बनाम। राजिंदर कुमार, (1985) 1 एस. सी. सी. 436, पी. 441 : ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 371; बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1614, पीपी. 1621 , 1622 ; थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जे. टी. 1999 (8) 66, पी. 107 , 108 : ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3923, पीपी. 3947 , 3948 : (1999) 9 एससीसी 334।

7 सखाराम बनाम। माणिकचंद, ऊपर। 8 प्लीवा वी. मुख्य निर्णय अधिकारी, (1994) 3 सभी ई. आर. 323, p.331: (1995) 1 एसी 249: (1994) 3 डब्ल्यूएलआर 317 (एचएल) (इस मामले के लिए पाठ और नोट 74, p.588 भी देखें)।

9 9 एटकन बनाम। साउथ हैम्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, (1994) 3 ऑल ई. आर. 400, पी. 405 : (1995) 1 एसी 262: (1994) 3 डब्ल्यूएलआर 33 (एचएल)।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि साइमन ब्रॉन, एल. जे. द्वारा इंगित किया गया है, दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग आम तौर पर एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए कानूनों को बचाने में किया जाता है और ये पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं। फिर भी उन मामलों के बीच एक संभावित अंतर किया जा सकता है जहां अधिनियम लागू होने के बाद, अधिकार प्राप्त करने के लिए दावेदार द्वारा कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है और ऐसे मामले जहां अधिनियम, दावेदार द्वारा आगे कुछ भी किए बिना अधिकार प्रदान करता है। पूर्व वर्ग के मामलों में, यह आवश्यक कदम उठाए जाने के बाद अर्जित अधिकार होगा, जबकि बाद के वर्ग के मामलों में यह केवल अधिनियम के बल से अर्जित अधिकार होगा।

***

***

***

एक किरायेदार का अधिकार, जिसके पास एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए भूमि है और जिसने एक क़ानून के प्रावधानों के तहत उस अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से उसी की खेती की है जिसे 'संरक्षित किरायेदार माना जाता है' एक उपार्जित अधिकार माना गया है जो क़ानून के निरसन से बचेगा। इसी तरह, एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार कि प्रत्येक पट्टा दस साल की अवधि के लिए माना जाएगा, अर्जित अधिकार है और अधिनियम 1 के निरसन से अप्रभावित रहेगा। लेकिन बेदखली नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली के खिलाफ संरक्षण के लिए एक वैधानिक किरायेदार का तथाकथित अधिकार केवल लाभ है और वास्तविक अर्थों में अधिकार नहीं है और अधिनियम के निरसन के बाद जारी नहीं रहता है। 12 1 2. इसी तरह इस तर्क पर कि किरायेदार का किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मानक किराया तय करने और मानक किराए से अधिक संविदात्मक किराए का भुगतान न करने का अधिकार केवल एक सुरक्षात्मक अधिकार है और निहित अधिकार नहीं है, यह माना गया है कि जब मानक किराया तय करने के लिए एक आवेदन के लंबित होने के दौरान, अधिनियम में संशोधन किया जाता है और यह

10 सखाराम बनाम। माणिकचंद, ए. आई. आर 1963 एस. सी. 354: 1962 (2) एससीआर 59.

11 हीरालाल बनाम। नागिंदास, ए. आई. आर 1966 एस. सी. 367: 1964 (6) एससीआर 773। मकान मालिक और किरायेदार के संदर्भ में अन्य निहित अधिकारों के लिए, ईश्वरलाल बनाम देखें। मोतीभाई, आकाशवाणी 1966 एससी 459: 1966 (1) एससीआर 367। कुदरत उल्ला बनाम। बरेली नगरपालिका, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 396: (1974) 1 एससीसी 202। यदि विधानमंडल द्वारा किए गए संशोधन द्वारा या अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिनियम कुछ किरायेदारों पर लागू होना बंद कर देता है तो वही परिणाम सामने आएगाः डी. सी. भाटिया बनाम भारत संघ, 1995 (1) एससीसी 104: 1994 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5011; परमपति चंद्र शेखर राव बनाम। अलापति जलैया, 1995 (3) स्केल 197: ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1781 (1995) 3 एस. सी. सी. 709। (यहां तक कि लंबित कार्यवाही भी प्रभावित होगी); अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. अमृत लाल एंड कंपनी, आकाशवाणी 2001 एससी 3580: (2001) 8 एस. सी. सी. 397 (लंबित कार्यवाही प्रभावित होगी)।

विचाराधीन परिसर में आवेदन करना बंद कर देता है, आवेदन है अक्षम हो जाता है और उसे निष्फल के रूप में खारिज करना पड़ता है। 1 13

***

***

**

*

अनुदान प्राप्तकर्ता को अतिरिक्त खरीदारी करने का विकल्प दिया जाता है प्रावधानों के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने पर क्राउन लैंड

कानून का उपार्जित अधिकार नहीं माना गया था जब कानून

14

विकल्प के प्रयोग से पहले निरस्त कर दिया गया था। एक अधिनियम के तहत लाइसेंस का विस्तार प्राप्त करने का विशेषाधिकार है

अर्जित अधिकार नहीं है और निरसन के बाद कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिनियम। 15

***

***

***

क्षमा के लाभ का दावा करने का अधिकार या विशेषाधिकार

विलम्ब एक निरस्त प्रावधान के तहत एक उपार्जित अधिकार नहीं है जब

उक्त प्रावधान के निरसन से पहले देरी नहीं हुई थी। 1 6

किसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त पूर्व-समावेशन का अधिकार उपचारात्मक है।

भूमि या अन्य संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए और कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई डिक्री पारित नहीं हो जाती तब तक अर्जित या उपार्जित किया गया हो और

यदि अधिनियम को अंतिम पारित होने से पहले निरस्त कर दिया जाता है तो यह बच नहीं पाता है।

डिक्री। 17 एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार जिसके लिए विचार किया जाना चाहिए

मौजूदा नियमों के अनुसार पदोन्नति एक निहित अधिकार नहीं है

और अगर सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है तो यह बच नहीं पाता है।

नियमों में संशोधन होने तक रिक्तियों को नहीं भरना और

मौजूदा नियमों को निरस्त करने के साथ संशोधित नियम उन्हें ऐसा नहीं बनाते हैं

पदोन्नति के लिए योग्य। 18 1 8.

कुमार वी चाहते हैं। मदनलाल शर्मा, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1887, पी. 1888 , 1889 : (2004) 4 ओटी वी। भूमि मंत्री, (1895) एसी 425,431 (पीसी)।

ओल्ड्स वी। नोवा स्कोटिया के लिए ए. जी. (1896) ए. सी. 240: 65 एलजे पीसी 16: 74 एलटी 108 (पीसी)। देखें।

एआर गजराज सिंह बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 412 p.422:

1 एस. सी. सी. 650 (इस पुस्तक में छठे संस्करण का पाठ, p.418 उद्धृत है)।

डी. गुरुदास रायकर बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2156, पी. 2160 :4) एससीसी 333।

अला देवी वी। रेणुका, ए. आई. आर. 1973 एम. पी. 120 को कृष्ण दास अग्रवाल बनाम में अनुमोदित किया गया।

इयालाल, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3464: 1996 (9) एससीसी 488।

उलु (डॉ.) वी. एस. सूर्यप्रकाश राव (डॉ.), ए. आई. आर 1997 एस. सी. 1803, p.1808: 1997 (3)

9 .

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्जित अधिकारों और देनदारियों की सामान्य बचत

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के बल से निरस्त अधिनियम के तहत, निरसन अधिनियम द्वारा प्रकट किए गए विपरीत इरादे के अधीन हैं। 19

एक खाली निरसन के मामले में, इसके विपरीत शायद ही कोई जगह हो।

इरादा; 2 ओ लेकिन जब निरसन नए कानून के साथ हो

उसी विषय पर, नए अधिनियम के प्रावधानों को होना होगा

यह निर्धारित करने के लिए देखा गया कि नया अधिनियम कितना प्रभावी है या नहीं।

धारा 6 के संचालन को प्रभावित करने वाला एक विपरीत इरादा, सामान्य खंड Act.21। जब एक नए अधिनियम में एक बचत खंड है

व्यापक रूप से शब्दबद्ध और विस्तृत है, यह संभव हो सकता है

अनुमान लगाएँ कि यह संपूर्ण है और कॉल न करने का इरादा व्यक्त करता है

धारा 6 का अनुप्रयोग, सामान्य खंड Act.22 "

19 करम सिंह बनाम। प्रताप चंद, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1305, पी. 1309 (पैरा 10): (1964) 5 एस. सी. आर. 647; ईश्वरलाल बनाम। मोतीभाई, आकाशवाणी 1966 एससी 459, p.466: 1966 (1) एससीआर 367।

20 एक बाद के क़ानून द्वारा पहले के क़ानून में एक दंडात्मक धारा का प्रभाव समाप्त हो गया और इसे भी निरस्त कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के दोहरे निरसन ने भी विपरीत इरादा नहीं दिखाया और निरसन से पहले किए गए अपराध के लिए अभियोजन को रोका;

पुलिस आयुक्त बनाम। शिमोन, (1982) 2 ऑल ई. आर. 813: (1983) 1 एसी 234: (1982) 3 डब्ल्यूएलआर 289 (एचएल)।

21 पंजाब राज्य बनाम। मोहर सिंह, आकाशवाणी 1955 एससी 84, पी. 88: (1955) 1 एस. सी. आर. 833; इंदिरा सोहनलाल बनाम। ई. पी. के अभिरक्षक, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 77, पी. 83 : (1955) 2 एस. सी. आर. 1117; बृहन्मुंबई महाराष्ट्र चीनी सिंडिकेट बनाम। जनार्दन, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 794, पी. 795 : (1960) 3 एस. सी. आर. 85; महादेओलाल बनाम। पश्चिम बंगाल के प्रशासक, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 936, पीपी. 938 , 939 (पैरा 7): (1960) 3 एस. सी. आर. 578; केरल राज्य बनाम। एन. सामी अय्यर, ए. आई. आर.

1966 एस. सी. 1415, पृ. 1417 , 1418 ; जयंतीलाल बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1193, p.1196: (1972) 4 एस. सी. सी. 174; टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 150, पी. 156 : (1983) 1 एस. सी. सी. 177; बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर 1989 एस. सी. 1614 p.1619: (1989) 2 एस. सी. सी. 557; मनफुल सिंह शर्मा बनाम। अहमदी बेगम, जे. टी. 1994 (5) एस. सी. 49, पी. 53: (1994) 5 एससीसी 465; डी. श्रीनिवासन बनाम। आयुक्त, ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1250 p.1255: (2000) 3 एससीसी 548। एक बचत खंड के निर्माण के लिए जो 'इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अनुसार बचत करें' शब्दों के साथ शुरू होता है, एस. एन. कांबले बनाम देखें। शोलापुर नगरपालिका, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 538: (1966) 1 एससीआर 618। एक बचत खंड के लिए जो पुराने अधिकारों को संरक्षित करता है लेकिन नई प्रक्रिया को लागू करता है, रामचंद्र बनाम देखें। तुकाराम, आकाशवाणी 1966 एससी 557: 1966 (1) एससीआर 594।

कलोटा शेख बनाम। भारत संघ, (2009) 2 एस. सी. सी. 1 पैरा 34 (च): (2008) 13 स्केल 398। लेकिन तिवारी कन्हैयालाल बनाम देखें। आयकर आयुक्त, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 902: (1975) 4 एस. सी. सी. 401, जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 297 में निहित विस्तृत बचत संपूर्ण नहीं है। इस मामले में, धारा 6, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 52 के तहत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व को अभिनिर्धारित करने के लिए सहारा लिया गया था। आय-कर अधिनियम, 1922 इसके निरस्त होने के बाद भी जारी रहा। आय-कर आयुक्त, यू. पी. बनाम. शाह सादिक एंड संस (1987) 3 एस. सी. सी. 516, p.524: ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1217। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को 1961 के अधिनियम द्वारा निरस्त किए जाने के बाद 1922 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत अर्जित बंद करने के अधिकार को जारी रखने के लिए फिर से लागू किया गया था।

[ध्यान दें: सुविधा के लिए, उद्धरणों में मामलों/उद्धरणों को फिर से गिना गया है।] ओडिशा राज्य v.

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

24. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि क्या है

किसी कानून के निरसन से अप्रभावित होना अर्जित या अर्जित अधिकार है और यह केवल अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आशा या अपेक्षा या स्वतंत्रता नहीं है। अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में अंतर है। यदि किसी निरस्त अधिनियम के तहत, एक अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी अधिकार के संबंध में जांच आवश्यक है कि ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा है। किसी प्रावधान का लाभ उठाने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। निरस्त किए जाने के बाद, निरस्त अधिनियम के तहत आवेदन करने और राहत प्राप्त करने के लिए उपलब्ध लाभ एक अधिकार नहीं है जिसे आवेदन के आवश्यक होने पर बचाया जाता है और राहत देना विवेकाधीन था और जांच की आवश्यकता थी कि राहत दी जानी चाहिए या नहीं। निरस्तीकरण से इस तरह की राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं बचेगा। पूर्व-समावेशन का अधिकार अर्जित अधिकार नहीं है। किसी अधिनियम का लाभ उठाना एक उपचारात्मक अधिकार है। निरस्त नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का सरकारी कर्मचारी का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है जब तक कि निरसन प्रावधान में कुछ बचत शामिल न हो और अधिकार का पहले उल्लंघन किया गया हो।

निरसन अधिनियम। यह निरसन प्रावधानों पर निर्भर करता है कि यह क्या जीवित रखता है और जब निरसन और बचत खंड को व्यापक रूप से लिखा जाता है तो यह क्या नष्ट करने का इरादा रखता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 26. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि 1994 के आदेश के तहत कोई पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। जाँच आवश्यक थी।

सहायता अनुदान जारी किया जाना है या नहीं, इसके लिए। यह केवल सहायता अनुदान जारी करने की आशा और अपेक्षा थी जो 1994 के आदेश के प्रावधानों के निरसन के बाद भी कायम नहीं है। 2004 के आदेश के पैराग्राफ 4 में निहित स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए, 1994 के आदेश को निरस्त करना और सहेजना, यह स्पष्ट है कि निरसन के समय अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसा कोई अधिकार नहीं बचा है। आवेदन करने और/या लंबित आवेदनों के 1994 के आदेश के प्रावधान नहीं हैं न ही यह प्रावधान किया गया है कि 1994 के आदेश के निरसन के तहत आवेदन करके, इसके लाभों का दावा किया जा सकता है। अनुदान वार्षिक रूप से बजटीय प्रावधानों पर आधारित था। समय पर आवेदन करना। जैसा कि प्रासंगिक समय पर प्रचलित कई कारकों को देखा जाना था, किसी भी मामले में 1994 के आदेश के निरसन के बाद प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। केवल ब्लॉक अनुदान का दावा किया जा सकता है।

27. लोकनाथ बेहरा मामले में उच्च न्यायालय ने सही राय दी है कि निरस्तीकरण के कारण 1994 के आदेश के प्रावधानों को [2019] 12 एस. सी. आर. पर लागू नहीं किया जा सकता है।

सहायता अनुदान प्राप्त करें। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उचित रूप से उल्लेख किया है। हिरेंद्र पाल सिंह और अन्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 305, जिसमें यह देखा गया था:

" 22. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि जब भी कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है, तो इसे ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। निरसन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदान किए गए कुछ उद्देश्यों को छोड़कर, अधिनियम को वैधानिक पुस्तकों से मिटा देना है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897। निरसन केवल रूप की बात नहीं है बल्कि सार की बात है। इसलिए, निरस्त होने पर, पहले के प्रावधानों को मिटा दिया जाता है/निरस्त कर दिया जाता है/पूरी तरह से मिटा दिया जाता है यानी प्रो टैंटो निरसन (भागी राम पिंडी लाल बनाम। त्रिलोक चंद जैन, (1992) 2 एस. सी. सी. 13; गजराज सिंह बनाम। स्टेट, (1997) 1 एस. सी. सी. 650; संपत्ति मालिक संघ। वी. महाराष्ट्र राज्य (2001) 4 एस. सी. सी. 455 और मोहन

राज वी. दिम्बेश्वरी सैकिया (2007) 15 एस. सी. सी. 115)।

24. इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों के निरसन और निलंबन के बीच एक स्पष्ट अंतर है और दोनों के बीच भौतिक अंतर यह है कि निरसन कानून को पूरी तरह से हटा देता है; जब निलंबित किया जाता है, तो यह अभी भी मौजूद है और अन्य मामलों में लागू होता है सिवाय इसके कि इसे निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार, एक निरसन कानून को समाप्त कर देता है। ए.

निलंबन इसे स्थगित रखता है "।

28. रिलायंस को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम के निर्णय पर भी रखा गया है। कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 6 एस. सी. सी. 287, जिसमें पंजाब राज्य बनाम. ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 84 के मोहर सिंह पर भरोसा करते हुए कहा गया है कि जब निरसन के बाद उसी विषय पर नया कानून बनाया जाता है, तो नए अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह अधिकारों को नष्ट करने या उन्हें जीवित रखने का इरादा प्रकट करता है।

29. अधिनियम की धारा 7-सी और 1994 के आदेश के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जिन संस्थानों ने

सहायता अनुदान और डाक जिसके संबंध में सहायता अनुदान जारी किया जा रहा था, को बचा लिया गया है। संस्थान के संदर्भ का अर्थ है और इसमें पद शामिल हैं। इन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सहायता अनुदान का दावा करने का अधिकार 2004 के आदेश के निरसन

के समय तय किया गया है, अर्जित किया गया है, निपटाया गया है, पूर्ण या पूर्ण है। के अनुसार ब्लैक लॉ डिक्शनरी में अर्थ, वेस्टिंग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

ओडिशा राज्य v. अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

" वेस्ट, वी. बी. (15(ग) 1. एक को (संपत्ति का) स्वामित्व प्रदान करना

व्यक्ति। 2. संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व के साथ (एक व्यक्ति) निवेश करना। 3 . (एक व्यक्ति) को वर्तमान या भविष्य के आनंद का तत्काल, निश्चित अधिकार देना। 4. इतिहास. (एक व्यक्ति) को भूमि के कब्जे में रखने के लिए निवेश का समारोह। - वेस्टिंग, एन "।

इस प्रकार, अधिनियम या 1994 के आदेश के तहत सहायता अनुदान का दावा करने का कोई निहित, उपार्जित या पूर्ण अधिकार नहीं था। सहायता अनुदान का दावा करने के लिए केवल शैक्षिक मानदंडों की पूर्ति और उचित नियुक्ति पर्याप्त नहीं थी। इसकी पूर्ति के लिए कई अन्य प्रासंगिक पहलू हैं और इसकी जांच आवश्यक थी। केवल पूर्ति द्वारा एक या दो शर्तों के साथ, यह कहा जा सकता है कि पद या व्यक्ति से संबंधित संस्था द्वारा अनुदान-सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ है। इसके निरस्त होने के बाद 1994 के आदेश के तहत अनुदान का दावा करने के लिए कॉलेजों/व्यक्तियों के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया है। 1994 के आदेश को निरस्त करने के बाद अधिकार की जांच के लिए किसी भी दावे का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

30. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य व्यक्तियों के संबंध में, आदेश न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए हैं, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। 1994 के आदेश के तहत न्यायालय और अनुदान-सहायता जारी किए गए हैं जैसे कि समानता के आधार पर इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त मुद्दे पर मतभेद थे। जो भी हो सकता है। हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है। यदि व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जहां अधिकार उपलब्ध नहीं है, कोई व्यक्ति समान व्यवहार के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अधिकार मौजूद नहीं है, नकारात्मक समानता जब अधिकार मौजूद नहीं है, तो दावा नहीं किया जा सकता है। बसावराज में और एक अन्य वी। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एस. सी. सी. 81, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

" 8. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को भी आगे बढ़ाना है। उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि पहले के मामले में कोई गलती की जाती है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता एक त्रयी है, जिसका अवैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि [2019] 12 एस. सी. आर. के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह या एक गलत आदेश एक न्यायिक मंच द्वारा पारित किया गया है, अन्य के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं

उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने के लिए या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्चतर न्यायालय। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है

अन्यथा यह प्रशासन का कामकाज कर देगा।

असंभव है। (चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से। वी. जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, आनंद बटन लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य, (2005) 9 एससीसी 164, के. के. भल्ला बनाम। एम. पी. राज्य, (2006) 3 एस. सी. सी. 581 और

फुलजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 455) "

चमन लाल बनाम। पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 15 एस. सी. सी. यह निम्नानुसार मनाया गया:

" 16. इसके अलावा, यह भी तय कानूनी प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है। यदि अनजाने में या अन्यथा किसी को गलत लाभ प्रदान किया गया है, तो यह हो सकता है कि यह दूसरों को इसी तरह की राहत देने का आधार न हो। इस न्यायालय में

बासवराज बनाम। भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81 इस मुद्दे पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया: (एस. सी. सी पी. 85, पैरा 8)

" 8. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को भी आगे बढ़ाना है। उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को अनजाने में या द्वारा कुछ राहत/लाभ दिया गया है

गलती से, इस तरह का आदेश दूसरों को भी वही राहत पाने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि पहले के मामले में कोई गलती की जाती है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता एक त्रयी है, जिसका अवैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं।

या उच्च न्यायालय उसी को दोहराने या गुणा करने के लिए

अनियमितता या अवैधता या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय ओडिशा V का कथन करता है।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा। (चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से। वी. जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, आनंद बटन लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य, (2005)

9 एससीसी 164, के. के. भल्ला बनाम। एम. पी. राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 581 और फुलजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य, (2010) 11 एस. सी. सी. 455) " " " "

फुलजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (2010) 11 एस. सी. सी.

यह इस प्रकार देखा गया:

" 11. प्रत्यर्थी डी. एस. लॉन्गिया बनाम के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है।

पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1993 पी. एंड एच. 54, तय किए गए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

प्रस्ताव है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 नहीं है

और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अवैधता और अनियमितता की गई है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पक्ष या गलत आदेश

न्यायिक मंच द्वारा पारित किया गया है, अन्य लोग इसका आह्वान नहीं कर सकते हैं

दोहराने के लिए उच्च या उच्चतर न्यायालय की अधिकारिता या

समान अनियमितता या अवैधता को गुणा करना या गलत आदेश पारित करना। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। अन्यथा भी अनुच्छेद 14 नहीं हो सकता है

बहुत दूर तक फैला हुआ अन्यथा यह कार्य करेगा प्रशासन असंभव है। (कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम

भारत संघ, 1984 सप एस. सी. सी. 457, पंची देवी बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2009) 2 एस. सी. सी. 589 और शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। संघ

भारत सरकार, (2009) 15 एस. सी. सी. 705 "

दोईवाला सहकारी श्रम संवाद समिति लिमिटेड बनाम। की स्थिति

एंकल और अन्य, (2007) 11 एस. सी. सी. 641, इस न्यायालय ने संदर्भात्मक समानता में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 28. भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.

उन्होंने माना है कि दो गलतियाँ एक को सही नहीं बनाती हैं। अपीलार्थी यह दावा नहीं कर सकता कि चूंकि किसी अन्य मामले में कुछ गलत किया गया है, इसलिए एक और गलत करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। यह एक गलत अधिकार स्थापित नहीं करेगा, लेकिन एक और [2019] 12 एस. सी. आर. को कायम रख सकता है।

गलत और ऐसे मामलों में कोई भेदभाव शामिल नहीं है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 के तर्क पर समान व्यवहार की अवधारणा को लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन समान व्यवहार की अवधारणा समान कानूनी आधार के अस्तित्व का अनुमान लगाती है। करता है।

गलतियों को बराबर लाने के लिए गलत कार्रवाई की पुनरावृत्ति को स्वीकार न करें। प्रभावित पक्षों को अपने मामले की ताकत किसी अन्य आधार पर स्थापित करनी होगी न कि नकारात्मक गुणवत्ता का दावा करके। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का कोई बल नहीं है। यदि कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से परमिट दिया गया है, तो अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सकता है।

सरकार द्वारा की गई गलतियों के लाभ का दावा करें। बोंडू रामास्वामी और अन्य बनाम। बैंगलोर विकास

प्राधिकरण और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 129, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

इसी तरह स्थित भूमि को हटा दिया गया था (भले ही वह भूमि भी किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती थी जिसे हटाया जा सकता था), क्योंकि यह नकारात्मक समानता को लागू करने के बराबर होगा। लेकिन जहां अन्य की भूमि के बड़े हिस्से को अंधाधुंध और मनमाने ढंग से हटा दिया जाता है, तो अदालत राहत दे सकती है, अगर इस तरह के विलोपन के कारण, उस क्षेत्र के लिए विकास योजना अप्रवर्तनीय हो गई है या इसके परिणामस्वरूप योजना को छोड़ दिया गया है "।

कुलविंदर पाल सिंह और एक अन्य वी। पंजाब राज्य और

एस, (2016) 6 एस. सी. सी. 532, यह न्यायालय यू. पी. बनाम राज्य पर भरोसा करते हुए।

मार शर्मा, (2006) 3 एस. सी. सी. 330, ने निम्नलिखित रूप में देखा:

16. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब अन्य उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के खिलाफ पद पर नियुक्त किया गया था, तो वही लाभ अपीलार्थियों को भी दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं है

और यह नकारात्मक समानताओं की परिकल्पना नहीं करता है। इन-यू. पी. राज्य बनाम राजकुमार शर्मा, (2006) 3 एस. सी. सी. 330 यह (एस. सी. सी.) के तहत आयोजित किया गया था।

पी। 337 , पैरा 15)

" 15. भले ही कुछ मामलों में नियुक्तियां गलती से या गलत तरीके से की गई हों, लेकिन यह ओडिशा के किसी अन्य राज्य को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

अनूप कुमार सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

व्यक्ति। संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है और यदि राज्य ने गलती की है तो उसे उसी गलती को कायम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। (स्नेह प्रभा वी. देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 7 एस. सी. सी. 426; जयपुर विकास

प्राधिकरण v. दौलत मल जैन, (1997) 1 एस. सी. सी. 35; हरियाणा राज्य बनाम। राम कुमार मान, (1997) 3 एस. सी. सी. 321; फरीदाबाद सी. टी. स्कैन सेंटर बनाम। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, (1997) 7 एस. सी. सी. 752; जालंधर सुधार न्यास बनाम। सम्पूरन सिंह, (1999) 3 एस. सी. सी. 494; पंजाब राज्य बनाम। राजीव सरवाल, (1999) 9 एस. सी. सी. 240; योगेश कुमार बनाम। सरकार. (एन. सी. टी. दिल्ली), (2003) 3 एस. सी. सी. 548; भारत संघ बनाम। इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., (2003) 5 एस. सी. सी. 437 और कास्ता निवारक ग्राहनिर्मान सहकारी

संस्था मर्यादा बनाम। इंदौर विकास प्राधिकरण, (2006)

2 एससीसी 604.) "

केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को लाभ दिया गया है

अवैध रूप से या गलती से, यह अपीलार्थियों को समानता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।" राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश

भाषण वी। सुभाष सिंधी सहकारी आवास सोसायटी, जयपुर

थर्स, (2013) 5 एस. सी. सी. 427, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 19. भले ही अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की भूमि

जारी किए जाने पर, सोसायटी को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि वह सभी मामलों में समान रूप से स्थित है, और उसे भूमि को जारी करने का स्वतंत्र अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है।

नकारात्मक समानता, और इसका उपयोग किसी भी अवैधता को बनाए रखने के लिए नहीं किया जा सकता है।

एक के अस्तित्व पर आधारित भेदभाव का सिद्धांत

लागू करने योग्य अधिकार, और इसलिए अनुच्छेद 14 तभी लागू होगा जब

समान रूप से दुर्भावनापूर्ण भेदभाव किया जाता है

बिना किसी तर्कसंगत आधार के, या ऐसे रिश्ते के लिए जो इस तरह के भेदभाव की गारंटी देता है। [वीडियो स्नेह प्रभा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 7 एस. सी. सी. 426, योगेश कुमार बनाम।

सरकार. (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2003) 3 एस. सी. सी. 548, राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। देबाशीष मुखर्जी (2011) 14 एस. सी. सी. 187 और प्रिया गुप्ता बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य,

(2012) 7 एस. सी. सी. 433] "

अरूप दास और अन्य में v. असम राज्य और अन्य, (2012) 5 559, इस न्यायालय ने [2019] 12 एस. सी. आर. के तहत टिप्पणी की।

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक रिक्तियां निम्नलिखित गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और यह कि चयनकर्ता अधिकार के रूप में नियुक्तियों का दावा नहीं कर सकते थे। यह दोहराया गया कि केवल चयन सूची में उम्मीदवारों को शामिल करने से चयन का कोई अधिकार नहीं मिलता है, भले ही कुछ रिक्तियां खाली रह जाएं। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही कुछ मामलों में नियुक्तियां गलती से या गलत तरीके से की गई हों, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है

और यदि राज्य ने कोई गलती की है, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है

उक्त गलती को कायम रखें। "

उड़ीसा राज्य में और एक अन्य वी। ममता मोहंती, (2011) 3

436 , यह देखा गया:

" 56. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 14 अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं है और इसमें नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है। इस प्रकार, भले ही कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को

अनजाने में या गलती से कुछ लाभ दिए जाने पर, ऐसा आदेश याचिकाकर्ता को वही राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। (चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से। वी. जगजीत सिंह, (1995) 1 एस. सी. सी. 745, योगेश कुमार बनाम। सरकार. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2003) 3 एस. सी. सी. 548, आनंद बटन लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 164, के. के. भल्ला बनाम। स्टेट ऑफ एमपी, (2006) 3 एस. सी. सी. 581, कृष्ण भट्ट बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, (2008) 9 एस. सी. सी. 24, बिहार राज्य बनाम। उपेंद्र नारायण सिंह (2009) 5 एस. सी. सी. 65 और भारत संघ बनाम। कार्तिक

चंद्र मंडल, (2010) 2 एस. सी. सी. 422 "

31. आदेश के पैराग्राफ 4 पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि केवल अधिकार की बचत ब्लॉक अनुदान प्राप्त करने के लिए है और केवल सहायता अनुदान में आदेश 04 के निरसन पर या उससे पहले प्राप्त किया गया था, यह प्रभावित नहीं होगा और 1994 का आदेश केवल उद्देश्य पर जारी रहेगा और कोई अन्य अधिकार नहीं बचे हैं। इस प्रकार, हम उपरोक्त पर लोक नाथ बेहरा (ऊपर) में उच्च न्यायालय के निर्णय को मंजूरी देते हैं।

हमारे द्वारा उल्लिखित उपरोक्त कारणों के लिए।

सेनापति [अरुण मिश्रा, जे.]

32. इस प्रकार, हम पाते हैं कि

न्यायाधिकरण और ए द्वारा पारित आदेश

कर्मचारियों के पक्ष में उच्च न्यायालय स्थायी नहीं है। लोकनाथ बेहरा और मानस पुरोहित में उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को आदेश में उल्लिखित कारणों के लिए बरकरार रखा गया है। उड़ीसा राज्य द्वारा दायर अपीलों की अनुमति है और कर्मचारियों की अपील इसके द्वारा की जाती है।

बर्खास्त कर दिया। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

निधि जैन